

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJI-  
RAO SHINDE: I introduce the Bill.

THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES RESERVATION OF POSTS IN PRIVATE ENTERPRISES BILL, 1994

SUSHIL KUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE (Maharashtra): Madam, I beg to move or leave to introduce a Bill to provide for reservation of posts in private, cooperative and joint sector enterprises and organisation, in consonance with the spirit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders and the Mandal Commission's recommendations and matters connected therewith.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE: Madam, I introduce the Bill.

THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994-Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, we would take up the further consideration of the motion in regard to the Married Women (Protection of Rights) Bill, 1994, moved on the 12th August, 1994 by Shrimati Veena Verma. Mr. Kataria was speaking on this Bill. His speech was incomplete. So, I would like to request Mr. Kataria to speak on the Bill now. Mr. Kataria.

श्री वीरेन्द्र काटारिया (पंजाब) : मैडम वार्ड-चेयरमैन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बिलपर मुझे बोलने का मौका दिया है। पिछली दफा जब मैं बोल रहा था तो मैंने बात की थी कि जब तक महिलायें इकनामिक तौर पर डिपेंडेंट रहेंगी तो चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हों उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात, जिसका तसब्बुर हम करते हैं, वह पूरी नहीं हो सकेगी।

बीणा जी ने जो विवाहिता स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 1994 इस सदन में रखा है मैं उसकी हिमायत में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

महोदया विवाहित महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ एक और बुनियादी चीज जुड़ी हुई है और वह यह है कि हिन्दुस्तान में औरतों की हालत क्या है। उनके अधिकारों का सवाल तो बाद में पैदा होता है। मैं इस सदन में आज यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में महिलाओं की हालत क्या है। हमारे देश में बहुत सुधारक हुये हैं जिन्होंने औरतों के हितों के लिये मूवमेंट्स भी चलाई हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द, इन लोगों ने औरतों को मुनासिब जगह दिलाने के लिये आंदोलन किये हैं।

महोदया, हिन्दुस्तान को आजाद हुये 47 साल के ऊपर हो गये हैं और बेत-हाशा लेजिस्लेशन कानून; रूल्स, स्कीमें हिन्दुस्तान में इटोडयूस की गई हैं औरतों की हालत को ऊंचा उठाने के लिये लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज मुझे यह बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज भी हिन्दुस्तान में औरतों को जो दर्जा मिलना चाहिये वह उसेको नहीं मिला है। जो कानून हैं वह कागज के सीने पर लिखा हुआ जरूर है लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों पर इस कानून का जितना असर होना चाहिये वह नहीं हुआ है। बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। आज भी इन सब बातों के बावजूद हिन्दुस्तान में दहेज के लिये औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। आज भी इस देश के बहुत बड़े हिस्से में जहां तालीम नाम की कोई चीज नहीं है औरतों को पैर की जूती के बराबर समझा जाता है। इस देश के बहुत बड़े हिस्से में आज भी औरतें तालीम से वंचित हैं। लोगों ने एजेंडा में कोई यह चीज नहीं है कि स्त्री शिक्षा की कितनी जरूरत है इस देश की तकदीर को बदलने में, हमारा सोशल निजाम

The question was put and the motion was adopted

बदलने में और इस देश को ऊंचा ले जाने में। ऐसी कोई बात हमारे एजेंडा में नहीं है। इस वैक्याउंड में जब हम मैरिड वूमेन के राईट्स की बातें करते हैं तो हिन्दुस्तान में औरतों की ओवर ऑल जो मिचुएशन है उससे अलग रहकर अगर हम सिर्फ मैरिड वूमेन के राईट्स की बातें करें तो उससे यह मसला हल नहीं हो सकता।

वीणा जी ने जो बिल रखा है, मैं उसकी तहेदिल में हिमायत करता हूँ। उसके जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो इकोनोमिक इम्प्लीकेशंस हैं बिल्कुल काबिले सतायस हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जब तक इस मुल्क में वूमेन की इकोनोमिक इम्पेसिवेशन नहीं होगी, इकोनोमिक राईट्स उनको नहीं मिलेंगे, जब तक उनकी इकोनोमिकली डिपेंडेंट रहेगी, तब तक राईट्स की बात को हम पा नहीं सकेंगे। पिछले दिनों बात चली थी—एम्पॉवरमेंट आफ राईट्स टू वूमेन की। लेकिन एम्पावरमेंट उतनी ही मिलेगी जितनी एम्पॉवरमेंट के लिये वूमेन जहाँ जहद करेंगी और उसको पाने की कोशिश करेंगी। मेरे विचार में यह मूल-मंत्र है और इस मूल मंत्र का प्रयोग किये बगैर जो सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो सोशल रिवोल्यूशन या जो हमारा पिछड़ापन है या जिस देश की 50 फीसदी आबादी पैरों के नीचे दबी हो उसको ऊंचा उठाना चाहें तथा जब तक ऐसे रिवोल्यूशनरी इक्याम प्रैक्टिकल रूप में नहीं लाये जायेंगे, उस मकसद को पाया नहीं जा सकेगा।

आज गांवों में चले जाइए। बेतहाशा गांव ऐसे हैं जिनमें औरतों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं समझी जाती। जब तक आप स्त्री शिक्षा के माध्यम से स्त्री जाति को उनके हकों से आगाह नहीं करेंगे, जब तक कि उनके अन्दर यह स्पिरिट पैदा नहीं करेंगे कि यह उनके राईट्स हैं तथा वह भी समाज में बराबर की हिस्सेदार हैं, जब तक यह अवेयरनेस पैदा नहीं हो जाती, तो यह कानून आप बेशक पास कर दीजिये उसके नतीजे

जिसके लिये यह कानून पास किया जायेगा, वह आप नहीं पा सकेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि आज हिन्दुस्तान में औरतों की क्या हालत है। अगर आप मिनिस्ट्री आफ सोशल वेलफेयर के फील्ड्स पढ़कर देखें तो हमारे देश से लगना जो मुल्क नेपाल है, वहां में जितनी औरतें यहाँ आती हैं, कितनी औरतों को बेचा जाता है। बंगाल में, उड़ीसा में कितनी औरतों को आज भी इस मुल्क में एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह बेचा जाता है। जैसे भेड़ वस्त्रियाँ होती हैं वैसे उनका जीवन होता है तो वे आज भी पुकारती हैं। आज हिन्दुस्तान में नारी की जो हालत है,

मदद चाहती हैं ये होवा की बेटी, जुलुआ की हमजास, राधा की बेटी बुलाओ खुदायाने दी को बुलाओ, ये गलियाँ ये कूचे में मंजर दिवाओ खुदायाने तकदोमे मशरिक को लाओ, खुदायाने तकदीसे मशरिक कहाँ हैं?

आज हम हिन्दुस्तान में अपनी तहजीब की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, ऋषि-मुनियों का देश है, उसकी बात करते हैं। यहाँ इधर ओर की नदियाँ बहा करती थीं, उसको बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं लेकिन जो आज का हिन्दुस्तान है और जिस औरत की तस्वीर मैंने आपके सामने खानी है, उसकी बात करें, पुरानी बातों को करने का कुछ फायदा नहीं है। हिन्दुस्तान बड़ा महान था लेकिन आज हिन्दुस्तान में औरत का जो अपमान होता है, औरत की जो जलालत होती है, उसकी तरफ निगाह दौड़ाने की जरूरत है और मैं ईमानदारी से इस बात को महसूस करता हूँ कि शायद ये बात कागजों पर तो है किनहारे जो बिल का एजेंडा है, उसका यह हिस्सा नहीं है। वीणा जी ने जो तर्जुमा की है, यह इतनी अजीब बात है कि एक ल की जो अपने मां-बात के घर में पैदा होती है, उसका उसकी जायदाद में कोई हक नहीं होता है। सक्सेशन ऐक्ट बनाया है जिसके जरिये हक दिया गया है। 1956 में यह ऐक्ट बनाया लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखिये तो माइनस जीरो इम्प्लीमेंटेशन नजर आयेगा। क्या फायदा इस ऐक्ट को बनाने का जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ

हैं ? उसको न तो अपने मां-बापके घर में कोई हक था जायदाद का और जिस पर वो ब्याही जाती है, वहां पर भी कानून की नजरों में उनका अपने पति की जायदाद में जब तक उसका पति जिंदा है, कोई हक नहीं है। इतनी अजीब बात है कि उसको अगर अपना हक देना है उस जायदाद में, याहे वह भूबेबल हो या इम्बूबेबल हो, जब तक वह विधवा नहीं हो जाती, तब तक उसके सिर का सुहाग नहीं उड़ जाता, वह उस जायदाद में पार्टनर नहीं बन सकती, हिस्सेदार नहीं बन सकती। यह किरने मजाव की बात है और किन्ने दुर्भाग्य की बात है कि एक औरत अपने सुहाग की दुआ मांगती है अपने सुहाग के लिये सारी दुनिया से लड़ने के लिये चंडी का रूप भी धारण कर सकती है लेकिन उन्ही चंडी के रूप धारण करने वाली वीरांगना की बात की तबज्वह करें कि वह जायदाद में हिस्सा लेने के लिये, पार्टनर बनाने के लिये अपने सुहाग का सिद्ध अपने सिर में भिटा दें, यह किन्नी अनर्थ सोच है, किन्नी गलत बात है। मैं उनकी इस बात की तारीफ करना चाहता हूँ कि

when a woman gets married, she should be a co-partner in the property of her husband from the very first day of her marriage.

जब तक ये प्रावधान आप कानून में नहीं करते हैं, हिन्दुस्तान में औरतें जलती रहेंगी, बहुएं जलती रहेंगी। तो मैं एक सिंगल प्रोविजन जो है और जो इस बिल की जान है, उस पर जोर देना चाहता हूँ कि चाहे इस बिल को सरकार स्वीकार कर या न करे, मैं सरकार से इस बात की अपील करता हूँ कि इस प्रावधान को जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इन वन फार्म और इन दि अदर फार्म, सरकार हिन्दुस्तान के कानून का हिस्सा बनाए। और मैरिड वूमन को अपने पति की जायदाद में शादी के पहले दिन से ही फल-फलैज को-पार्टनर के तौर पर हिस्सेदार

कानून की नजर में मानना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के बाहर बहुत से जांग जाकर बसे हैं और वे बाहर के मुल्कों में रहते हैं। वहां गे आकर वे हिन्दुस्तान में शादियां करते हैं, लड़कियों को वहां दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। मेरी नजर में एक नहीं सैकड़ों ऐसे केम आए हैं कि जो लड़कियां यहां से ब्याह कर ले जायी जाती हैं, उनकी जिन्दगी वहां जाकर एक हल बन जाती है और वह केवल एक बीवी के तौर पर नहीं, एक दासी के तौर पर, एक मेड सर्वेंट के तौर पर, एक घेलू नौकर के तौर पर वहां अपने पतियों के घर में काम करती हैं। मैं इस बात के लिए भी बीणा जी से कहूंगा कि इसको अमेंडमेंट मानिए या इसको मेरा मुझाव मानिए, यह जो एक्ट आपने इंटरड्यूज किया है, जो बिल इंटरड्यूज किया है, इसमें इस बात का भी प्रावधान होना चाहिये कि जो हिन्दुस्तानी बाहर के मुल्कों में जाकर बसते हैं और यहां से लड़कियों को ब्याह कर ले जाते हैं और वहां पर पहले से उनकी शादियां हुई होनी हैं तथा लड़कियों का गुलामों की तरह इस्तमाल किया जाता है। इस बिल का इतलाक उन कपल्स पर भी, उन शादीशुदा जोड़ों पर भी होना चाहिए, इस बिल में इसका भी जिक्र आना चाहिए। आज एक और कान्सेप्ट हमारी है कि औरत जब अपने पति से सैपरेशन लती है, या डायवोर्स होता है तो एक लफज है, जो लफज वजात-ए-खुदबहुत वाहयात है, उसको कहते हैं—मेंटनेंस। मेंटनेंस शब्द से ऐसा लगता है, जैसे किसी को खेरात दी जा रही है, किसी पर दया की जा रही है। इसलिये यह मेंटनेंस लफज बिल्कुल बेमानी है और यह भी एक जलालत का और एक बदनामी का टीका है।

Why should a woman get maintenance? She should get her right as a matter of right, as a matter of law.

میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مینٹننس سंपरेशन पर या डायवोर्स के मीके पर ग्रान्ट की जाती है, इसके वजाय कानून में इस बात का संशोधन किया जाये कि

As a matter of right she should get a right to her husband's properties.

आज मैंने जिस बात से शुरू किया था, उसी बात पर ही मैं फिर खत्म करना चाहूंगा कि इस बिल की पूरी हिमायत करते हुए कि आज जिम् देश में, औरतों को जला दिया जात है, क्योंकि वह दहेज नहीं लायी है, आज इस देश में मैं अपने बप की प्रापटी की हिस्सेदार होते हुए भी एक परसेंट क्षेत्रों में भी यह ला इम्पलीमेंट नहीं होता, आज इस देश में जहां अगर लड़कियां या औरतें वेद पढ़ती हैं, तो कहा जाता है कि उनको वेद पढ़ने का हक नहीं है, आज हजारों औरतें अपने घरों से अलग होकर बंटी हैं, क्योंकि उसके घर वाले, उनके हसबैंड उनको घर में बसाने के लिए तैयार नहीं है। संपरेशन नहीं हुआ है, डायवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन इस देश में हजारों लाखों औरतें ऐसी हैं, जो इस तरह से अपने दिन पूरे कर रही है।

जब तक इकोनोमिक तौर पर वीमेन को मजबूत नहीं किया जाता, जब तक उनकी इकोनोमिक डिपेंडेंस खत्म नहीं की जाती, जब तक उनके अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं की जाती जायदाद की हिस्सेदारी बनाकर तक तक वे हिन्दुस्तान में जलील होती रहेंगी। आप ऐसे हजारों कानून पास कीजिए वे कानून कागज की किताब पर लिखे

रहेंगे और हम इस देश को हिन्दुस्तान महान कहते रहेंगे। और औरत यह कहती रहेगी हमने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से, वजीर साहब से पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि इस बिल को आप मानिये या न मानिये लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिट है वेद शुद्ध बिकम पाटें आफ अवर लां।

شری وزیر کسٹاریہ پنجاب: میڈم  
وائس چیمبر میں۔ میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں  
کہ آپ نے اس بل پر تجویز دینے کا موقع  
دیا ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں ابدل رہا تھا تو  
میں نے بات کی تھی کہ نسبت تک مہیلاؤں  
اکونامک طور پر ڈیپنڈ رہیں گی تو چاہیے  
وہ وواہت ہوں یا نہ ہوں ان کے رائٹس  
کے پروٹیکشن کی بات جس کا تصور ہم کرتے  
ہیں وہ اپنی انہیں ہو سکے گی۔ وینا جی نے  
جو وواہت اسٹری اوھیکاروں کا سن کر کشن  
و دھے کیسا ۱۹۹ اس سدرن میں رکھا ہے  
میں اس کی حمایت میں بولنے کے لئے  
کھڑا ہوا ہوں۔

مہودیر۔ وواہت مہیلاؤں کے  
اوھیکاروں کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی  
چیز پڑتی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندو  
میں عورتوں کی حالت کیا ہے۔ ان کے

ادھیکیاروں کا سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سदन میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں تہلاؤں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے دلش میں بہت سا حرکت ہوئے ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لئے مومنٹس بھی چلائی ہے اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں۔ راجارام مومہن رائے، لالہ لاجپت رائے، مہاتما گاندھی، سوامی دیانند، ان لوگوں نے عورتوں کو مناسب جگہ دلانے کے لئے آندولن کئے ہیں۔

مہودیر ہندوستان کو آزاد ہوئے آج ۷۴ سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور بے تحاشہ پمپلسیشن۔ قانون۔ روس، اسکیمیں ہندوستان میں اسٹروڈیس کی گئی ہیں عورتوں کی حالت کو اونچا اٹھانے کے لئے لیکن ان سب باتوں کے باوجود آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آج بھی ہندوستان میں عورتوں کو جو درجہ ملنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ جو قانون ہے وہ کاغذ کے سینے پر لکھا ہوا ضرور ہے لیکن ابھی تک ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر اس قانون کا جتنا اثر ہونا چاہیے تھا۔ وہ نہیں ہوا ہے۔ بہت

اوپر نیس کی ضرورت ہے۔ آج بھی ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان میں جہیز کے لئے عورتوں کو زندہ جلا یا جاتا ہے۔ آج بھی اس دلش کے بہت بڑے حقے میں جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے عورتوں کو پیر کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

اس دلش کے بہت بڑے حقے میں آج بھی عورتیں تعلیم سے بچت ہیں لوگوں کے ایجنڈا میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ استری شکشا کی کتنی ضرورت ہے۔ اس دلش کی تقدیر بدلنے میں ہمارا سوشل نظام بدلنے میں اور اس دلش کو اونچے جانے میں۔ ایسی کوئی بات ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے۔ اب اس بیک گراؤ میں جب ہم میرٹھ وومن کے رائٹس کی باتیں کرتے ہیں تو ہندوستان میں عورتوں کی اور آل جو سچویشن ہے۔ اس سے انک رہ کر انک ہم صرف میرٹھ وومن کے رائٹس کی باتیں کریں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

وینا جی نے جو بل رکھا ہے۔ میں اس کی تہم دل سے حمایت کرتا ہوں اس کے جو پروویجنس ہیں۔ اس کی جو انک نامک امپلیکیشن ہیں۔ بالکل قابل ستائش ہیں

کیوں کہ جبراً ہمیں نے کہا تھا کہ جب تک اس ملک میں وطن کی اکونامک انیمیشن نہیں ہوگی۔ اکونامک رائٹس انکو نہیں ملیں گے۔ یہ سبب تک ان کی اکونامک ڈیپنڈنٹ رہے گی۔ تب تک رائٹس کی بات کو ہم یا نہیں سمجھیں گے۔ کچھ دنوں بات چلی تھی۔ ایکسپاورمنٹ آف رائٹس ٹو وومن کی لیکن ایکسپاورمنٹ اتنی ہی ملے گی جتنی ایکسپاورمنٹ کے لئے وطن جدوجہد کریں گی اور اس کو پارٹس کی کوشش کریں گی۔ میرے دماغ میں یہ مول منتہی ہے اور اس مول منتہی کا پلوگم کئے بغیر جو سچو ایشن ہم کریں گے۔ نہ پاس ہے۔ جو سوشل ریولوشن یا جو ہمارا بچہ پڑا ہے یا جس دیش کی فیصدی آبادی پیروں کے نیچے دبی ہو اس کو اونچا اٹھانا چاہیں۔ تب تک ایسے ریولوشنری اقدام پر پیشکل روپیہ میں نہیں لائے جائیں گے اس مقدمہ کو پایا نہیں جا سکے گا۔

آج گاؤں میں چلے جائیے۔ یہ نکاحہ گاؤں ایسے ہیں جن میں خواتین کی شکایت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی جب تک آپ استریٹس کے مائٹم سے اس کی حق کران کے حقوق سے آگاہ نہیں ہو گئے

جب تک کہ ان کے اندر یہ سپرٹ پیدا نہیں ہوئے گئے کہ یہ ان کے حقوق تھا۔ تھا وہ بھی ۸۵ ج میں برابر سے ملے۔ رار میں سبب تک یہ اوپر سے پیدا نہیں ہو جاتی تو یہ قانون اس کے لئے یہ قانون دیکھئے اس کے نتیجے میں اسے یہ قانون پاس کیا جائے گا۔ آپ نہیں یا نہیں گئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کی کیا حالت ہے۔ اگر آپ ”منٹری آف سوشل ویلفیئر“ کے رپورٹ کو دیکھیں تو پتا دیش سے نکلتا ہوا ملک میال ہے۔ وہاں سے کتنی عورتیں بہاں آتی ہیں۔ کتنی عورتوں کو بچا جاتا ہے۔ بنگال سے اڑیسہ سے کتنی عورتوں کو آج بھی اس ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جگہ پر آتا ہے۔ جیسے بھیر بھیریاں ہوتی ہیں۔ ویسا ان کا جیون ہوتا ہے تو آج بھی بیکاری ہے۔ آج ہندوستان پر غلامی کی جو حالت ہے۔

مرد چاہتی ہے یہ خاکی میں زلیخا کی ہم جس راہی میمی بلاؤ خدا یاں دین کو بلاؤ۔ یہ گلیاں یہ کوسے یہ ٹنڈر کڈاؤ۔ خدا یاں تقدسین شرق کو لاؤ۔ خدا یاں تقدسین شرق کہاں ہے

آج ہم ہندوستان میں اپنی تہذیب کی بابت کرتے ہیں۔ اپنے گیم کی بات کرتے ہیں۔ ریشی مینوں کا نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں دودھ اور دھما کی ندیاں بہا کرتی تھیں۔ اس کی بات کرتے ہیں۔ پرنی باتیں کرتے ہیں لیکن جو آج کا ہندوستان ہے اور جس عورت کی تصویر میں نے آپکے سامنے کھینچی ہے اس کی بات کریں۔ پرانی باتوں کو کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہندوستان براہمن تھا۔ لیکن آج ہندوستان میں جو عورت کا ایمان ہوتا ہے عورت کی جو ذلالت ہوتی ہے اس کی طرف نگاہ دوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ایمانداری سے اس بات کو سمجھوں کہ تاپوں کہ شاید یہ بات کاغذوں پر تو ہے لیکن ہمارے جو بل کا ایجنڈہ ہے اس کا یہ حصہ نہیں ہے دینا جی نے جو تجویز کی ہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کا اس کی جائداد میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے سیکشن ایکٹ بنایا ہے جس کے ذریعہ حق دیا گیا ہے۔ ۱۹۵۶ء میں یہ ایکٹ بنایا لیکن امپلیمینٹیشن آگے آسکے دیکھتے تو انیس زریہ امپلیمینٹ نظر آئے گا۔ کیا فائدہ اس ایکٹ

کو بنانے کا جس کا امپلیمینٹیشن نہیں ہوا ہے اس کو نہ تو اپنے ماں باپ کے گھریں کوئی حق تھا جائداد کا اور جس کو وہ بیاہی جاتی ہے وہاں پر بھی قانون کی نظروں میں اس کا اپنے بچی کی جائداد میں جب تک اس کا بچی زندہ ہے۔ کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ اس کو اگر اپنا حق دینا ہے اس جائداد میں چاہے وہ مودا بیل ہو یا ان مودا بیل ہو جب تک وہ وروا نہیں ہو جاتی جب تک اس کے سر کا شہاگ نہیں اڑ جاتا وہ اس جائداد میں پائیز نہیں بن سکتی حصہ دار نہیں بن سکتی یہ کہنے مذاق کی بات ہے اور کتنے ڈیبا گیم کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے شہاگ کی دھما مکتی ہے۔ اپنے شہاگ کے لئے ساری دنیا سے لڑنے کے لئے پنڈٹی کا روپ بھی رہا رہ کر سکتی ہے لیکن اس جینڈی کا روپ دھارن کرنے والی ویرانگی کی بات کو توقع کریں کہ وہ جائداد میں حصہ لینے کے لئے پائیز نہیں دے لے اپنے شہاگ کا مندر اور اپنے سر سے مٹا دے۔ یہ کتنی اناکھ سہیج ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ میں ان کی اس بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ

جب تک یہ پراودھان آپ قانون میں نہیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں جلتی رہیں گی۔ بہوئیں جلتی رہیں گی۔ تو میں ایک سنگل پرووین جو ہے اور جو اس بل کی جان ہے اس پر زور دینا چاہتا ہوں چاہے اس بل کو سرکار سوئیکار کرے یا نہ کرے۔ میں سرکار سے اس بات کی اپیل کرتا چاہتا ہوں کہ اس پراودھان کو جس کام میں لے بھی نہ کر سکیں۔ ان دن فارم آر ان اور فارم "سرکار ہندوستان کے قانون کو حصہ بنائے اور میرٹھ و وین کو اپنے پتی کی جائداد میں شادی کے پہلے دن سے ہی "فل فلیجڈ کو۔ پارٹنر" کے طور پر حصہ دار قانون کی نظر میں ماننا چاہیے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے باہر بہت سے لوگ جا کر بسے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں سے آکر وہ ہندوستان میں شادیاں کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو وہاں دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ میری نظر میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے کیس آئے ہیں کہ جو لڑکیاں یہاں سے بیاہ کر لے جاتی ہیں۔ ان کی زندگی وہاں جا کر ایک پھیل سن جاتی ہے اور وہ کیوں ایک بیوی کے طور پر نہیں ایک راسی کے طور پر۔ ایک

میڈیٹرونٹ کے طور پر۔ ایک گھر یونو کے کے طور پر وہاں اپنے پتیوں کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ اس بات کیلئے بھی دینا ہی سے کہوں گا کہ اس کو امنڈمنٹ ماننے یا اس کو میرا سمجھاؤ ماننے یہ جو ایکٹ اپنے انٹرویو میں کیا ہے۔ جو بل انٹرویو میں کیا ہے اس میں اس بات کا بھی پراودھان ہونا چاہیے کہ جو ہندوستانی باہر کے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں اور یہاں سے لڑکیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تمھاری لڑکیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے سے ان کی شادیاں ہوتی ہوتی ہیں تمھاری لڑکیوں کا غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بل کا اطلاق ان کیس پر بھی۔ ان شادی شدہ جوڑوں پر بھی ہونا چاہیے۔ اس بل میں اس کا بھی ذکر آنا چاہیے۔ آج ایک اور کانسیپٹ ہماری ہے کہ عورت جب اپنے پتی سے سپریشن لیتی ہے یا ڈائیورس ہو رہے تو ایک لفظ ہے جو لفظ بذات خود بہت دایمیت ہے اس کو کہتے ہیں مینیٹیونس۔ مینیٹیونس شبد سے ایسا نکلتا ہے جیسے کسی کو خیرات دی جا رہی ہے کسی پر دیا کی جا رہی ہے اس لئے یہ مینیٹیونس لفظ بالکل بے معنی ہے



اور یہ بھی ایک ذلالت کا اور بدنامی کا  
ٹھیکہ ہے

Why should a woman get maintenance?  
She should get her right as a matter of  
right, as matter of law.

میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹی نہیں  
سیپریشن پر یا ڈائیورس کے موقع  
پر ایڈجسٹ کی جاتی ہے

As a matter of right she should get a  
right to her husband's properties.

اس کے بجائے قانون میں اس  
بات کا نسخہ دھن کیا جائے کہ ...

آج میں نے جس بات سے شروع  
کیا تھا اس بات پر ہی میں پھر ختم کرتا  
چاہوں گا کہ اس بل کی پوری حمایت  
کرتے ہوئے کہ آج جس دیش میں عورتوں  
کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جہیز نہیں  
لائے ہے آج اس دیش میں اپنے باپ  
کی پراپرٹی کی حصہ دار ہوتے ہوئے بھی  
ایک پرسنٹ اسٹیٹروں میں بھی یہ لاء ایڈجسٹ  
نہیں ہوتا آج اس دیش میں جہاں اگر  
لڑکیاں یا عورتیں وید پڑھتی ہیں تو کہ  
جاتا ہے کہ ان کو وید پڑھنے کا حق  
ہے آج ہزاروں عورتیں اپنے گھر  
انگ ہو کر بیٹھی ہیں کیوں کہ ان کو گھر

ان کے مہینڈ انگو گھر میں بسا نہ کہ لے  
تیار نہیں ہیں۔ سپریشن نہیں ہوا ہے ڈائیورس  
نہیں ہوا ہے لیکن اس دیش میں ہزاروں  
لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح سے  
اپنے دن پورے کر رہی ہیں۔

جب تک اکنا ملک طور پر وومینس کو  
مضبوط نہیں کیا جاتا جب تک ان کی  
اکنا ملک ڈیپینڈنس ختم نہیں کی جاتی۔  
جب تک ان کے اندر خود اعتمادی پیدا  
نہیں کی جاتی جہاں دار کی حصہ داری بنا کر۔  
تب تک وہ ہندوستان میں ذلیل ہوتی  
رہیں گی۔ آپ ایسے ہزاروں قانون پاس  
کیجئے وہ قانون کاغذ کی کتاب پر لکھے  
رہیں گے اور ہم اس دیش کو ہندوستان  
مہاں کہتے رہیں گے۔ اور عورت یہ کہتی  
رہے گی کہ ہم نے جہنم دیا مردوں کو اور مردوں  
نے انہیں بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہانی  
ایسی ہی چلتی رہے گی۔

ان شدوں کے ساتھ میں ہاؤس سے  
وزیر صاحب سے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا  
کہ اس بل کو آپ ملنے یا نہ ملنے لیکن  
اس کے پیچھے جو امپرٹ ہے دیٹ شوڈ کم  
پارٹ آف اور لاء۔

”ختم شد“

**श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) :**  
 उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बीणा जी के विधेयक का सम्बंधन करूंगा। लेकिन जैसा उद्देश्य उन्होंने दर्शाया है कि आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद महिलाओं को सम्मान और समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाया, मैं क्षमा चाहूंगा अपने सम्मानित सदस्यों में, एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझ से कहा मुझे रक्तचाप हो गया। मैंने कहा क्यों? तो बोले चिकनाई ज्यादा खा लेता हूँ। और कहा मैं दवा ले रहा हूँ। मैंने उनसे कहा तुम दवा लेने के बजाय चिकनाई खाना छोड़ दो तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी। लेकिन वह चिकनाई खाना नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह मेरे हमारे देश में कानून तो बनते हैं न्यायनये लेकिन उन कानूनों में कोई समाधान नहीं होता। जो समस्या के कारण रहे उन कारणों को हम दूर नहीं करते। उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। महिलाओं को उचित स्थान समाज में क्यों नहीं मिल पाता, सम्मान क्यों नहीं मिल पाता पहले इनकी बनियाद में जाइये। सबसे बड़ी बनियाद देश के तत्प्राकथित धर्म और धर्म ग्रन्थ है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों या कोई धर्म भी हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ हिन्दुओं के दो ग्रंथ रामायण और गीता हैं और मुसलमानों में कुरान। सब जानते हैं कि हमारी रामायण में जो लिखा हुआ है उसमें आज तक किसी ने संशोधन नहीं किया। उसमें लिखा है :

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,  
 ये सब ताड़न के अधिकारी।

संशोधन किसी ने नहीं कराया। हम रोज रामायण का पाठ करते हैं। जो हमारे मान्य ग्रंथ है और जिसमें नारी प्रताड़ना की अधिकारिणी है तो नारी को उचित स्थान कैसे मिल सकता है समाज में। यह एक प्रश्न है। ठीक इसी तरह में गीता में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है। हे अर्जुन, स्त्री, शूद्र, वैश्या, पापयिनि आदि जो कोई भी हो वह भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उपरोक्त लोग हेय हैं।

आप कुरान की बात करते हैं। कुरान की दूसरी सुरा अलबकरा की 228 वी आयत है उसमें उसका जितना हिस्सा है उसका ही कहता हूँ।" जैसे मर्दों का हक औरतों के ऊपर है वैसे ही अदस्तूर औरतों का हक भी मर्दों पर है। लेकिन मर्दों को औरतों पर प्रधानता प्राप्त है। यानी मैं और मुपिरियर टू बीमेन। इन तरह से सब जगह स्त्रियाँ प्रताड़ित हैं। सबसे पहले इन धर्म ग्रंथों में संशोधन होना चाहिए। यह हाइएस्ट वाची ग्राफ द लैंड है। हम यहाँ घड़ियाली आंगू बहाते हैं। (संशोधन) राम गंगाल यादव जी मैं गुलाम नहीं हूँ आपकी तरह से, जैसे आप अपने नेता के गुलाम हैं। मैं देश का भक्त पहले हूँ, बाद में व्यक्ति का, पार्टी का भक्त हूँ। पहले मेरा देश है और उससे बड़ी मानवता। आप पूछिये अपने नेता से। मैं जो बता रहा हूँ वह सच है। सबसे पहले धर्म ग्रंथों में संशोधन होना चाहिए। स्त्रियों की प्रताड़ना होती है दहेज के कारण, इसलिए दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिये।

**उपसभाध्यक्ष (कुनारी सरोज खाण्ड) :**  
 गौतम जी, एक मिनट पंजी जी कुछ कहना चाहते हैं।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) :** मैडम, हमारे कानून दस्त ने कहा और रामायण की उन्होंने अभी एक पंक्ति पढ़ी कि "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।" रामायण के आदर्श राम हैं, रावण नहीं। वह पंक्ति रावण के मुह से निकली है, जत्र मंदोदरी को उसने डाँटा था। यह रामायण की फिलामकी (व्यवधान) रामायण के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। यह उनके मुह से नहीं निकला है। तो हमारे धर्म ग्रंथ कोई लुटि नहीं है।

SHRI SANGH PRIYA GAUT,  
 You are a lawyers and I too am  
 lawyer. lawyers do not agree ever  
 agree. It is your personal interp

पर्सनल इंटरप्रेशन है। दोनों फरीशों का मुद्दा एक ही है। अनालत में अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेशन करते हैं। इसी के ऊपर आप सुन लीजिये। एब: साधु, एक पनवाड़ी, एक परचूनी और एक पहलवान मानिग वाक पर जा रहे थे। सैर के लिए। तीतर बोला। चारों बोले तीतर ने क्या कहा। साधु बोला शुभान तेरी कुदरत, परचूनी बोला गलत, तीतर ने बोला नमक मिर्च अदरक। पनवाड़ी बोला तुम दोनों गलत। तीतर बोला पान, बीड़ी, मिगरेट। पहलवान बोला तुम तीनों धिक्कल गलत। तीतर बोला। दंड, बैठक, कसरत। जिसका जैसा माइंड होता है, जिसका जैसा फन होता है, जैसी जिसकी मानसिकता होती है, वह वैसे ही अनुवाद करता है लेकिन असल इंटरप्रेशन अपनी जगह पर है।

दूसरा कारण है दहेज। उन लड़कियों का वैवाहिक जीवन ज्यादातर परेशान है जो गरीब घरों की हैं, जिनको दहेज कम मिला है। दहेज की शादियां बड़े बड़े लोग करते हैं। हमारे जो कांग्रेस भाई हैं उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से सबक नहीं लिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की। 7-7 आदमी बारात में गए और एक पैसा उन्होंने दहेज नहीं लिया। लेकिन इन्हीं के एक मुख्य मंत्री 60 हजार आदमियों को बारात में ले गए और ये सब गए।... (व्यवधान)... मैं तो अपनी बात बताना करता हूं। मैं कबीर की तरह हूं कि "तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी"।

**उपसमाध्यज (कुमारी सरोज खापड़ें) :** गीनम जी आप विषय पर बोलें।

**श्री संघ प्रिय गोतम :** मैं विषय पर ही बोल रहा हूं।

**उपसमाध्यज (कुमारी सरोज खापड़ें) :** अब इधर उधर ध्यान मत दीजिये, बात कहिए।

**श्री संघ प्रिय गोतम :** स्त्रियों का होता है दहेज के कारण। इसलिए समाप्त होनी चाहिए। लेकिन कैसे समाप्त हो? यह प्रथा समाप्त नहीं होगी। आप

जिम्मेदार लोग हैं, अगला लोग हैं आपको पहले स्वयं अपने बेट बेटियों की शादी में दहेज खत्म करना चाहिए। जो दहेज की शादी करे समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनका किसी भी तरह से साथ नहीं दिया जाना चाहिए।

बीणा जी, मैं बड़ी व्यावहारिक बात बता रहा हूं। इसके लिए महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं। जब वे बह बतकर आती हैं तब उनकी दहेज नलाने के कारण प्रताड़ना होती है लेकिन जब वही बेटे-बेटियों वाली बनती हैं तो उनकी निगाह भी दहेज की तरफ जाती है। लड़का जिसकी शादी होती है वह कभी दहेज नहीं मांगता। उसको पत्नी चाहिए। दहेज माना-पिता मांगते हैं वे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं।

(Interrptions) This is one of the reasons. I did not say that this is the only reason.

हम रोज व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि यह भी इसका एक कारण है।

चौथा कारण है ज्यादा बच्चे होना। ज्यादा बच्चे हो जाने से इस महंगाई में उनकी परवरिश कैसे होगी। (व्यवधान) आप तो कम्युनिस्ट हैं। आप धर्म न हटिए। मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं।

**उपसमाध्यज (कुमारी सरोज खापड़ें) :** मैंने कहा था कि टोका-टाकी पर ध्यान मत दीजिए ताकि स्पीच का बिक बचा रहे।

**श्री संघ प्रिय गोतम :** उपसमाध्यज महोदया, ज्यादा बच्चे होने से परिवार की परवरिश हो नहीं पाती और उच्चिन् आमदनी से जब उनकी गुजर बगर नहीं होती तो आदमी अनुचिन् काम करता है और गलत रास्ते पर जाता है और मुसमा अपनी पत्नी पर उतारता है। अगर परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा, पति-पत्नियों में झगड़े नहीं होंगे। परिवार सुखी रहने के लिए परिवार छोटा होना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदया मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे कम हो। जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न है उनको शिक्षा का अधिकार है। बहुत से राज्यों में उनको इंटरमीडियेट तक फ्री एजुकेशन की सुविधा है। मेरा यह सुझाव है कि फ्री शिक्षा के साथ-साथ आखिर तक लड़कियों के लिए शिक्षा कम्पलसरी कर देनी चाहिये। अब आप कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हमारे देश में इतना ज्यादा है कि कोई आदमी अपनी साख बना ले तो उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि कोई धार्मिक निर्माण के काम पर पैसा खर्च करना चाहता है। लोग अन्धाधुंध पैसा दे देंगे। लेकिन लोग बेईमान हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और खुद खा जाते हैं। इसलिए लोगों की साख नहीं है। मेरा यह सुझाव है that free, compulsory and uniform education should be provided in the entire country.

पैसा कहाँ से आएगा। मैंने जैसे बताया है पैसा अन्धाधुंध पब्लिक देगी।

You establish your credibility.

यह हमने अपने जीवन में देखा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1971 की लड़ाई में हमारी बहनों ने अपने कानों के बाले और अंगूठियाँ ऐम फेंक दी थी। हमारे देश में कोई कमी नहीं है। दूसरे देशों में सोना एक जगह इकट्ठा है लेकिन हमारे देश में सोना हर घर में बटा हुआ है। लोग सोना भी दे देंगे। फ्री एजुकेशन फार ऑल लेकिन एजुकेशन केवल बुकिश नहीं होनी चाहिये। गांधी जी और मरहूम डा० जाकिर हुसैन जी ने वर्धा में एक योजना वर्धा शिक्षा योजना बनाई थी। वर्धा शिक्षा योजना where it was a basic training and it was a job-oriented education.

अप्रविधि शिक्षा। इसमें क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि औरतें घर में काम करती रहेंगी, कांटेज इंस्ट्रिज में काम करती रहेंगी और कभी झगडा भी नहीं होगा। खाली आदमी का विभाग शांतान का घर

होता है। चार औरतें जब खाली बैठी होंगी तो कोई अच्छी बात नहीं करती, झगड़े की बात करेंगी। चार अफसर, चार वकील, चार डाक्टर, और चार एमपी0 जब चाहे देख लीजिये या तो ताश खेलेंगे या इधर-उधर की बात करेंगे, देश निर्माण की या चरित्र निर्माण की बात करते नहीं पाएंगे। (व्यवधान) यह आज का माहौल है। मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ। हम यही तो कर रहे हैं। क्या यह गलत है? बाहर जा कर देखिये। एक तरफ मद्य निषेध कानून है और दूसरी तरफ शराब का प्रचार और प्रसार और एक्साइज इगुटी बढ़ाते चले जाओ क्योंकि सरकार को पैसा ही पैसा चाहिये। अल्लाह मियां ने दो चीजें भेजी थी नमक और मिठाई। जितने पैसे वाले लोग है यह दोनों चीजें नहीं खा सकते क्योंकि या तो वह ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे या गठिये के मरीज होंगे। जितने पैसे वाले लोग हैं वे सांसारिक सुखों की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं की सीमित रखना चाहिये तभी परिवार सुखी रहेगा। परिवार बिगड़ता तब है जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि नैतिक तरीके से नहीं हो पाती तो अनैतिक तरीकों से आदमी पूर्ति करने का प्रयास करता है। अंत में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में पहले पांद सिस्टम था। मैं आपको अकबर बीरबल का एक किस्सा सुनाता हूँ। बीरबल खूबसूरत थे, उनकी मां काली तथा दांत निकले हुए थे। (व्यवधान) मैं बेल फाऊंडेड बात कहता हूँ, ऐसे बात नहीं करता। अकबर ने यह जानना चाहा कि बीरबल की मां बहुत सुन्दर होगी, मैं उसका चेहरा देखूँ। बीरबल समझ गये कि अकबर मां को देखने आ रहे हैं। वह काली थी और दांत निकले हुए थे उन्होंने कमीज दस्ताने पहन कर घूँघट म दिया, नीचे मौजे पहन लिये। अकबर कहा कि मैं आपकी मां का चेहरा देखूँगा, बीरबल की मां ने कहा कि आप मेरी को को देखो जिसने बीरबल जैसा लायकल पैदा किया है। चेहरे को क्या देखो आज ये आधे बदन, ये नंगे बदन अश्लील हरकतें और ये जो छूट दे टी0वी0 पर—यानी कौन-कौन रे

हैं, अब तो कई टी०वी० ऐसे भी अबजार में पड़े, जाने सही हैं या गलत कि वे सेक्स भी दिखाएंगे रात को। कोई भी हों। मर्द हों या कोई भी हों इसका क्या असर पड़ेगा। मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कौन-से हैं। लेकिन मैं तो विरोध करूँगा। आज टी०वी० को देखकर सब बिगड़ रहे हैं तो घर में महिला भी बिगड़ रही है, आदमी बिगड़ रहे हैं, दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं, मेन एण्ड वीमेन के बीच परेशानियाँ बढ़ रही हैं।

सम्पत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, दहेज के पीछे एक कारण था, और उसकी सीमा थी कि अगर पति मर गया, घर में गरीबी आ गयी तो कुछ सामान लड़की को इसलिए दो कि वह मारी-मारी न फिरे। अपनी गुजर-बसर कर सके। लेकिन अब वह एक डिमांड बन गयी है। पनिशमेंट कीजिए ऐसे लोगों का? पनिश आप किसी को करते नहीं।

ज्यादा समय न लेकर, यह कहूँगा कि कुछ बातें जो बीणा जी ने इसमें कहीं मैं उनसे इतिफाक नहीं करता हूँ जैसे यह कि पति की सम्पत्ति में तो अधिकार शादी के दिन से ही होना चाहिए—यह सही है कि होना चाहिए लेकिन बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साफ करेंगे बहुत से आदमी बहुत ज्यादा बदचलन हैं। लेकिन यदि औरत बदचलन हो गयी और सम्पत्ति को बेच दिया तो बच्चे क्या करेंगे, क्या होगा उनका। आई डॉट एग्री विद दिम। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

दूसरा यह है कि औरत यदि बेवा हो गयी और बेवा होने के बाद जैसा आम तौर से और अब तो रिवाज हो गया है, अगर बच्चे हैं और उसने दूसरी शादी कर ली तो उन बच्चों का क्या होगा। इसलिए इसमें कोई प्राविजन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, पर यह नहीं होना चाहिए।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। माई सलीम साहब आपका ध्यान चाहूँगा। यू आर वेरी इंटेलीजेंट मैन आफकोर्स, लेकिन

मेरी बात सुन लें कि लोग कहते दुनिया बनायी... (व्यवधान) हाँ सुन लीजिए। कहते हैं यह दुनिया ब्रह्मा ने बनायी। सुन लें। दुनिया कहती है कि दुनिया बनाई ब्रह्मा ने। मैं कहता हूँ कि औरत अपनी यूनियन बनाकर—जो महिलाएं तंग होती हैं उनकी एक फैसला ले लें। पूरी दुनिया की महिलाएं एक यूनियन बनायें और एक फैसला ले लें और यह कह दें कि कोई भी मर्द महिला पर जुल्म नहीं करेगा। नहीं मानता है तो समय निर्धारित कर दें—एक साल, डेढ़ साल, दो साल और फिर भी मर्द न मानें तो महिलाएं यह फैसला ले लें कि हम मर्द पैदा नहीं करेंगी और जैसे आज लड़कियों की आप गर्दन घोट देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, मर्द होगा तो वे भ्रूण हत्या कर दें उसकी। 70 साल तक इस प्रक्रिया को अपनायें। ब्रह्मा आकर देख लें कि सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी... (व्यवधान) तो स्थिति यह है। मैं इसका भाव समझता हूँ... (व्यवधान) इसका अर्थ यह है कि महिलाएं जुल्म को बर्दाश्त करती हैं। इसका भाव यह है।

They should unite against oppression.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : एक मिनट मुनिए। आपने जो सुझाव दिया कि इसका मतलब यह है कि आपके जुल्मों के बाद भी महिलाएं अगर भान लीजिए संतान, औलाद या बच्चा हो तो उसका गला घोट दें या उसको मार दें। इतनी क्रूर हत्या करने वाली महिलाएं कभी नहीं होती हैं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : ये सोच सकते हैं लेकिन हमारी माताएं ऐसी नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : हमारे देश में ऐसी संस्कृति नहीं है महिलाओं की। हमारे देश में यह भी संस्कृति नहीं है कि महिलाओं की यूनियन इस चीज के लिए बनायी जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश की महिलाओं का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए।

श्री संघ प्रया गौतम : पहले तो मेरे शब्द जो इसमें लिखे हुए हैं देख। मैंने कहा कि "अगर"। कोई जहरी नहीं है कि आनरेबल मेम्बर मेरी बात से इतिफाक करें और कोई यह भी जहरी नहीं है कि मैं किसी मेराय लू। मैं अपनी बात ब्लाट आई थिक प्रापर, आई विल से दैट। मैंने यह कहा कि अल्टीमेटम दीजिए। आखिर किमी चीज के निवारण का कोई उपाय, उपचार तो होगा। कानून तो उपचार नहीं कर रहा है। आज हम देख रहे हैं चोरी की सजा का कानून है, डकैती की सजा का कानून है, कत्ल की सजा का कानून है, सब है किन हर चीज बढ़ रही है। तीन-तीन, चार-चार साल की बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्याएं बढ़ रही हैं। महिलाओं के संग बलात्कार और उनकी हत्याएं बढ़ रही हैं। मास रेप अभी अलीगढ़ में हुआ, उसमें पार्लियामेंट में उठा था। रोज रेप बढ़ रहे हैं, मास रेप हो रहे हैं। आज कानून मदद नहीं करता। मेरी भावना को समझिए। I am one of you. I am Indian. मेरा भी कल्चर ही है और मेरा कल्चर तो और भी ज्यादा कल्चर्ड लोगों से आगे है। हम राष्ट्रीय संस्कृति को मानते भी हैं और व्यवहार में भी लाते हैं। हम राष्ट्रीय संस्कृति का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हमारा उद्देश्य यह है। हमारा प्रोडम फाइटर में नाम इसलिए नहीं आया कि हम जेल में नहीं जा सके। हमने तो तिरंगा झंडा उड़ाया है आजादी के लिए, हम तो उन लोगों में थे। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ हमको महिलाओं के प्रति, बच्चे और बुजुर्ग हमारी संस्कृति है जच्चा, महिला और बुजुर्ग गांव में हमारी भाषा में कहते हैं, अरे, क्या बच्चे के मुंह लग रहे हो, क्या महिला के मुंह लग रहे हो, क्या बुजुर्ग के मुंह लग रहे हो। इन तीनों के लिए प्यार और सम्मान हमारी भारत की संस्कृति में है, लेकिन आज तीनों ही अपमानित हो रहे हैं। बच्चों का अपहरण, महिलाओं का शोषण और हत्या और बुजुर्गों का अपमान, उनको दूर किया जा रहा है। यह चिंतनीय विषय है संस्कृति हमारी अलग होती जा रही है और इसलिए इस संस्कृति में जो हमारा हो

रहा है वह पाश्चात्य सभ्यता से हो रहा है और टी0वी0 वगैरह से। सरकार के लोग बैठे हुए हैं आप इसे बंद करा दीजिए। कोई अच्छी चीज नहीं है इससे कोई अच्छा सबक नहीं ले रहा है। अच्छा सबक हमारे जमाने में जब हम छोटे-छोटे बच्चे थे तो हम लेते थे। उस समय स्कूल में पढ़ाया जाता था कि मां-बाप की सेवा करो। अब तो कही नहीं पढ़ाया जाता है, सिवाय सरस्वती शिशु मंदिरों के। उनमें तो पढ़ाया जाता है। अब तो संस्कृति नाम की शिक्षा भी नहीं रही है।..... (व्यवधान) हां, सरस्वती शिशु मंदिर.... (व्यवधान) मतलब स्कूल, शाखा इज सेपरेट। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खारपडे) : मि० सलीम, शाखा और शिशु में अंतर तो... (व्यवधान)

SHRI MD. SALIM: Our Parliament never allows mention of a particular firm. I do object. Parliament can not be used for this. He is talking about Saraswati sishu Mandir. It is a particular type of schools run by the RSS. There are private school. We should expunge it. Parliament cannot be used to publicise or advertise any private concern which is commercially run. I is objectionable.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) Do not be so provocative, Mr. Salim. Please, do not be so provocative. Do you know what he is saying? It is not objectionable at all. He said 'Shishu Gharon Mein'.

SHRI MD. SALIM: No.. Saraswati Shishu Mandir.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Saraswati means vidya.

SHRI MD. SALIM: No. I do object to it. The entire north India... (Interruptions).

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मि० सलीम, सरस्वती का मतलब होता है विद्या ।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आर०एस०एस० के लोग नार्थ इंडिया में इस संस्था के नाम पर वाणिज्यिक तौर पर चलाते हैं वहाँ वह राष्ट्र चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि इस सदन को किसी भी कॉमर्शियल रन प्राइवट कंसर्न की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिये ।... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम उपसभाध्यक्ष : महोदया, ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : गौतम जी, श्रीज सुनिए ।... (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: We have got the highest regard for the Member? ... (Interruptions)...

यह हम से बहस कर ले ।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Gautam, will you listen to the Chair? You are talking on a very serious subject here in the House.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Yes. ...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : सलीम जी कुछ बातों को लेकर नाराज हो रहे हैं। आपने जो कहा है आपने कुछ और कहा, जो आप कह रहे हैं उसको जरा ध्यान में रखकर फिर आप कहिए ताकि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है और आप संक्षेप में कहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम देखिए वह रेकार्ड पर है। मैंने कहा भारतीय आज पढ़ तो आज पढ़ाई नहीं जा रहा है। रेकार्ड

पर है। मां-बाप की सेवा करो, मिवाय सरस्वती शिशु मंदिरों के, मैंने इसमें क्या प्रचार की बात कही है ।... (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : इसमें आपको क्या आपत्ति है ।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : वह जो भी बात कह रहे हैं कोई गलत नहीं, वह सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत समझदार आदमी यह भी हैं... (व्यवधान) वह कह रहे हैं इस देश में हमारी संस्कृति है, परंपरा है, मैं सब समझता हूँ ।... (व्यवधान) केवल आर०एस०एस० रन स्कूल के अलावा और कहीं सिचाई नहीं जाती ।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मि० सलीम... (व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : इन्होंने गलत नहीं कहा ।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : नाम आपको एकसंज करना पड़ेगा ।... (व्यवधान) आप अगर कहेंगे तो मैं कहने के लिए, तैयार हूँ ।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक मिनट, जो मैंने यहां से सुना वह यही सुना है "सरस्वती शिशु मंदिर" यह मैंने सुना है। जो आप कह रहे हैं, वह मैंने नहीं सुना है। मैं रिकार्ड देखूंगी कि रिकार्ड में क्या लिखा गया है, उसके बाद व्यवस्था दूंगी। रिकार्ड में देखूंगी और बाद में व्यवस्था दूंगी।

श्री मोहम्मद सलीम : हम तो सरकार से कहते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस संस्था को बंद कर देना चाहिए ।... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, इन्हें चुप करा देना चाहिए। यह एलीगेशन लगा रहे हैं एक इंडीय जन पर कि कॉमर्शियल है व्यवधान

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आपने फिर अपने भाषण में महिलाओं को इस तरह से कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था, उससे विपरीत कह रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैम, मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : देखिए, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीठासीन अधिकारी महिला है, बिल लाने वाली महिला है और बोलने वाले आप सारे पुरुष। कितनी गंभीरता आप समझ रहे हैं विषय की?

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने कहा कि मैं बीणा जी के भाव को समझता हूँ और उनका भाव कि आज भी महिलाओं का समाज में उचित सम्मान नहीं है, देश में उचित स्थान नहीं है  
as far as I have gone through the aims and objects of the Bill... (Interruptions)

तो मैंने उसके कारण बताए। अब कुछ ग़ात हुई है और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण हुआ है, सिविक निकायों में भी 30 परसेंट आरक्षण हुआ है। शिक्षा में भी वे आगे आ रही हैं और पार्लियामेंट में भी आ रही हैं। हमने यह भी देखा है कि जब महिलाओं से संबंधित मुद्दे सदन में आते हैं तो हम सब मिलकर उनके पक्ष में अपनी बात कहते हैं।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you please take your seat now?

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा भाव यह है कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैंने शुरू में भी कहा था कि महिलाओं को मैं जाग्रत होकर इस ऑप्शन और टार्चर के खिलाफ, जो इनके कारण हैं, उनसे लड़ना चाहिए।

मैं श्रीमती बीणा वर्मा जी के विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Thank you, Madam. I stand to support and welcome the Bill introduced by Smt. Veena Vermaji. In fact, any step to reform and improve the status of the Indian women is always welcome. In this country for hundreds of years women have suffered great injustices not at the hands of menfolk alone but from their womenfolk also & that too, more. This is a very tragic situation. Over the last few years there have been very significant changes or in fact, I would say, a silent revolution is taking place. The Indian Parliament, particularly the late Rajiv Gandhi, brought forward the Panchayati Raj and Nagarpalika Bill and this itself is the biggest change that could occur in the country. In the next 10—15 years, we will be witnessing that the women would play a dominant role in the Indian society. Wherever women have got equal rights and positions alone with their menfolk those societies have progressed whether you take the case of America or whether you take the case of entire Europe where women enjoy equal rights, equal freedom and equal power. These societies have tremendously progressed. So, considering that women have a significant place in any society, the Indian women deserve more, more than what was denied to them earlier. But one has to see the Indian ethos and the Indian cultural history. As my colleague just now mentioned, in 1956, when this legislation was brought, the women were given for the first time a share in their fathers' property. An hon. Member mentioned that there was no implementation. The fact of the matter is that if the women do not claim a right in their parent's property, what do we do? I consider it a good sign; it is not a bad sign. If a small part of that property is offered at the time of the marriage of the girl in the form of what you call a dowry or a



marriage expenditure, it is a welcome step rather than a woman fighting for her rights and claims. Yes, a woman does enjoy—that right, but it is not really being practised in the Indian society. But still I consider it a great step for the fact that it was an awaking of the women in general. I have an experience which I would like to share with the House. Shrimati Veenaji also knows that. The Indian women now, a large number, are enjoying equal rights. It is not that the Indian society in general is not aware of or is neglectful of its role or is not really accepting the modern time's philosophy that all human beings are equal. The fact of the matter is that women do not really want to lose the sense of security. Before I came to this House, I did discuss with friends what one should speak on the Bill. Surprisingly, when I come to support this Bill and welcome this, my wife tells me not to support this kind of a Bill and she argues that once you really establish a right in terms of a law, is likely to be a confrontation between a husband and a wife, and whether this kind of a conflict or a confrontation needed to be avoided or not, is an important question. If a wife even if there is a law which exists in the land, does not need the law to claim a right on property and the other thing, she need not. So, I am coming to the basic question that where this kind of a law needs to be enacted, it is not that women would really keep on claiming the rights before the marriage, but the fact is that there should be a sense of security for a wife or a woman. If she wants to exercise that right, she should. But the point that I want to make is that this is an awakening step. It brings an awakening that women have equal right, women have equal respect along with men. But my total emphasis is not on these kinds of laws. I would really prefer that the Indian Government really brings compulsory education for the entire womanhood, compulsory education up to the higher secondary level and free medical aid to women of the female children. because I find a lot of distinction or difference in the family approach towards a male child

vis-a-vis a female child. In respect of the male child, the parents are willing to spend any amount of money. On the other, the family is not really looking after the female child.

In this connection, I would advocate two major roles for the Government as well as the society in general. There should be emphasis on education and women's health.

Further, I have a very strong nation which I want to voice here. It is the women who are really responsible for their bad plight. In house after house, when family functions are celebrated, they are more for the male child than for the female child; be it a birthday or any other thing. Again, when the birth of a female child takes place, the family, particularly, the woman, does not really feel honoured; she does not welcome the birth of a female child in the family.

Therefore, the point is, the basic attitude of women has to change before they can really expect any change. As has been rightly said by another hon. colleague, it is actually the women who are responsible. When a woman becomes a mother-in-law, she starts torturing her daughter-in-law. The elderly female tortures the younger one, i.e. the daughter-in-law. There are very few complaints of the male member in the family torturing the daughter-in-law. It is the female, the mother-in-law, who does it.

Once again I would say that while one welcome this step in terms of bringing forward a legislation, one would like a very larger role for the Governmental as well as the voluntary agencies in helping our women-folk. Apart from this, at their own level, let women not really indulge in acts of criticism or acts of maltreatment towards their own fraternity.

With these observations, Mmadam, I welcome this good step, the move towards legislating on this matter. Thank you.

**SHRI NILOTPAL BASU** (West Bengal): Madam Vice-Chairman, while defending the Bill that has been moved by Shrimati Veena Verma, I would at the very outset, try to put the record straight. Earlier, there was a remark that it was a peculiar situation that on a Bill moved by a woman Member, the Members who were participating in the discussion were, incidentally, all males. But I believe the basic question is that all of us... (Interruptions)

**THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE)**: Mr. Singla, please listen to others also.

**SHR SURINDER KUMAR SINGLA**: Okay, Madam.

**SHRI NILOTPAL BASU**: Madam we are having wrong notions about the gender question. In our country, the social relations that we have are largely influenced by feudal considerations. I would say that the women's question, the gender question, is not essentially a question of male-female divide. The question of assertion of women's rights in our context is part of a larger democratic issue. We can find out from the statistics which are provided by the Government and other agencies that women indeed constitute a vulnerable section in our society in employment and education. And references were being made of female foeticide. We have even declining sex ratio so far as women are concerned. So here the question of women's right to equality, to equal citizenship, is not only a women's question but it is a question of how our form of society, our form of Government will address the basic democratic requirements of women. I have to say this because I come from a State where we have a very rich tradition of social reform movement, of religious reforms movement, of cultural reform movement. I am proud of being a Bengali. I come from a region where people like Raja Rammohun Roy and Ishwara Chandra Vidyasagar took up this question, not as a mark of magnanimity to the womenfolk but because they felt that the requirements of a

modern democratic society cannot be fulfilled unless women's right is established in the society. I think we cannot lose sight of this democratic tradition. All the developed countries and developed societies have gone through this process, and the question of enlargement and expansion of women's right is essentially an integral part of the struggle to establish democracy in the society. That is why I think it will be wrong on our part if time and again we refer to these issues as women's question relating to feminist rights and all that. Here, with all humility I would like to say that feminists themselves also, at some points of time, create trouble by unnecessarily trying to oppose the issue as a general issue whereas, essentially it is a question of human rights, it is a question of democracy.

The third point I would like to make in asserting the relevance of this Bill is the condition of the society we are living in today. I was referring to Raja Rammohun Roy, whose basic contribution, so far as the social reform movement was concerned, was that he was fighting for having a system of widow remarriage and especially against the sati pratha, and also the educational question of women. Now we are living in such a society where, just a few years back, we had the incident of Roop Kanwar where some people marched in the streets of a State capital, Jaipur, with open swords, demanding the right to sati. And this is an issue where we do not want to politicize the issue, but how can we ignore the fact that there was a very, very weak response from the Government? It was pussy-footed. It was thinking about votes while responding to that issue. Then, consider the whole context in which the debate about the Muslim Women's Bill came up: one of my friends has made this point. He has a very solid case that we do have the need for religious reforms. The Minister responded in a different manner, and I don't want to go into controversies.

but there is a very solid argument in favour of religious reforms in this country. We have an incident, a very recent incident in which the Shankaraharya gave a dictum that women folk cannot recite the Vedic hymns. This is the kind of situation and this is the kind of context in which we are living today at the fag end of the twentieth century while we are talking about sending space shuttles and we are talking of reaching other parts of the world in seconds, in a jiffy due to the kind of technological revolution that has taken place. We want to be at par with others. Everyday, day in and day out, we are told in this House of the kind of technological advancement that we would like to make and that we have to get multinational investment for having that kind of technological progress, but mentally we cannot change ourselves, we cannot come out of the eighteenth century mind-set. We cannot establish equal status for women in our society. It is as clear as the day light.

I should say that it is a very sad state of affairs that a Bill like this has to be moved on a Private Members' Day. We would have been happier if this kind of a Bill had been piloted by the Government itself. In our nation, a forward-looking nation, a modern nation which is trying to progress at par so far as the pace of development is concerned, such a Bill for establishing an equal status for women had to be brought on a Private Members' Day! It is a sad commentary on the state of affairs so far as the democratic system of governance is concerned.

So, I think, it is high time that issues like this were taken note of. I do not know, that way I am a very new Member. There are veteran parliamentarians. They can say, even if we adopt this Bill, what will be its fate in terms of official legislation, in

terms of translating into reality the spirit in which the Bill has been moved? But I believe that it will be a futile exercise to have this kind of discussions unless it can get reflected in the official initiatives of the Government. In this kind of faulst atmosphere in which we are living, it is high time that legislations were made. Not only that legislations were made but there were stringent, the most stringent implementation of those legal provisions.

The question of dowry-related atrocities on women has come up. We have a legislation, but, despite the legislation, we get answers to our questions put in Parliament that these things are increasing, that these things are on the rise. I do not understand why this is happening. One Prime Minister of this country talked about reaching the twenty-first century. So, this whole approach, the whole logic and argument of the Government on the one hand and the social reality that is there on the other hand are running counter to each other. How can this happen? I think, this Bill has provided us an opportunity to introspect really deeply into what is going wrong where. Is there any gap between what the Government is claiming on the one hand, and the social reality of our daily lives, on the other? How can this female foeticide take place? See how absurd it is. The ultra-sound technology is a very modern development of medical science. It has revolutionised treatment so far as gynaecology is concerned. It is being used really to perpetrate a very very base instinct that is there in the male chauvinist society. When modernise and modern things are being used to really perpetuate backward ideas how difficult it becomes! So, at one point of time we have to call it a day and say, "thus far and no further", because this is a question of really being able to stand up in the comity of nations as a modern and as a forward-looking nation. We have a modern system of telecommunications: we have very modern developments in space research, but in our society we cannot defend the equal status

(Shri Nilotpal Basu)

of our womenfolk. This is a very very sorry state of affairs. This should not go on. May be in subtleties and in some nuances difference of perception may be there with Shrimati Verma, but I generally support this Bill. I hope that drawing conclusions from this, the Government will legislate something on this so that an appropriate law can be legislated and Parliament can play a positive role in this and become an instrument of forward-looking social change.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shrimati Chandrika Abhinandan Jain — Absent.

श्रीमती उर्मिला चित्रवर्मा पटेल (गुजरात) : मैडम चेयरपरसन, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बिल पर बोलने का मौका दिया और बहन वीणा वर्मा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यह बिल प्राइवेट रिजॉल्यूशन के स्वरूप में...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : उर्मिलाबेन, एक मिनट आप जरा बैठेंगी, मैं एक एनाउंसमेंट करना चाहती हूँ।...

Hon. Members Shri Pranab Mukherjee, Minister of Commerce, will make a statement today at 5 p.m. regarding the Government's decision to ratify the Agreement establishing the World Trade Organisation. Clarifications on the Statement will be in Monday i.e. 11th December, 1994.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, may I put it in record that it is very very unfortunate that such a very important statement on the membership of

WTO would be made at the very end of the day, when in any case the attendance is very thin today being Friday? It is very unfortunate that the announcement was not made earlier. I want to put it on record that I strongly resent the way we are being treated by the Commerce Minister on this particular issue.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): The Commerce Minister has to make a statement in the other House also.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Yes, but why at 5 o'clock on Friday? Why not earlier? Why has the announcement been made now at 4 o'clock? Why was it not done before?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): It is an announcement on an international issue. The statement is being made within one hour from now. Purposely it is being done. It has not been done inadvertently.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Virumbi, you must understand one thing. Today being a Private Members' day, there was no other time. He has to make the statement at 5 o'clock, and after that he has to make the statement in the Lok Sabha also. So, we cannot blame the Minister for this small thing. You can ask clarifications on Monday. What is there in that?

श्रीमती उर्मिला चित्रवर्मा पटेल : वीणा वर्मा के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन देते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान गौण नहीं है। इसके बारे में कोई

कंसीडरेशन नहीं किया जाता। उसके संतव्य को सुनना, समझना और इसमें कुछ तथ्य हैं, ऐसा स्वीकार ही नहीं किया जाता यह हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। मैं मानती हूँ कि इसके पीछे महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता का हाथ है, और वही इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे समाज में महिला पुरुष पर आधारित होती है। अपने निभाव के लिए, अपने विकास की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। अपने हाथों, अपने बच्चों के विकास के बारे में माँ होते हुए भी वह निर्णय नहीं ले सकती है। इस तरह से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार हमारे समाज में महिला को नहीं है। इसकी वजह यह है कि महिला आर्थिक रूप से पराधीन है और अगर यह परिस्थिति नहीं बदली जाएगी तो महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। हमारा सामाजिक ढाँचा ऐसा है कि जिसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, उसी का समाज में महत्व होता है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो अपर कास्ट माने जाते हैं, साधन-सम्पन्न लोग हैं, उनका समाज में प्रभाव होता है और जो लोग पिछड़े हुए हैं, अपनी आजीविका की सुविधाएं भी जिनके पास पूरी तरह से नहीं हैं, ऐसे लोगों की समाज में कोई गिनती नहीं होती—चाहे वह शैड्यूलड कास्ट का हो, शैड्यूलड ट्राइब का हो या ओबीसी 0 सी 0 हो—कुछ भी हो। दुख की बात तो यह है कि आजादी के बाद इन सब कम्युनिटी के लोगों को ऊपर उठाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम शुरू किए गए, उनको विशेष अधिकार दिये गये, प्रोटेक्शन दिया गया लेकिन महिलाओं के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इस बात के लिए गंभीर नहीं हुई। कहीं कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम महिलाओं के विकास के नाम पर लाया जाता है, कहीं थोड़ी बहुत रकम उनके लिए दे दी जाती है लेकिन महिला भी एक व्यक्ति है और समाज में उसका पुरुष के समान ही योगदान है, इस आधार पर उसके लिए जो कुछ करना ज़रूरी है, वह सब कुछ करने के लिए गंभीरता से किसी ने भी,

इस हाऊस में या इस हाऊस के बाहर, नहीं सोचा है। इसी वजह से ही समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आजादी के पहले भी दहेज प्रथा थी और आज भी दहेज प्रथा प्रचलित है। जिन परिवारों में पहले यह प्रथा नहीं थी, उनमें भी यह प्रथा चल पड़ी है। हमारे गुजरात में दो कम्युनिटी ऐसी थीं जहाँ दहेज का रिवाज था—चरोतर के पाटिल और सूरत के अनाविल। लेकिन आज सभी जगह लेने देने का व्यवहार इतना बढ़ गया है कि चाहे हम उसको दहेज का नाम दें या न दें लड़की के पिता को लड़की को विवाह के समय देना ही पड़ता है। अगर देने में कुछ कमी रह गयी या गरीब माँ-बाप उसे कुछ नहीं दे पाए तो उसके लिए वह लड़की जो बहू बनकर जा रही है, उसको परेशानी होती है। उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं। उसको अपमानित किया जाता है। उसको घर से निकाल दिया जाता है। एक-दो बच्चों की माँ होते हुए भी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने बच्चों से अलग भी कर दिया जाता है। पिता के घर से पैसा लाने के लिए तरह-तरह के लिए महिलाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है। यह सब हम जानते हैं इसकी डिटेल्स में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। मिलकीयत का अधिकार 1956 के कानून से दिया गया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लड़की मांगती भी नहीं है। लड़की का पिता या भाई खुद देते भी अगर नहीं हैं। इसमें कई लूपहोल्स हैं लड़की उस कानून का उपयोग करे तो उस कानून के होते हुए भी वह लाभ नहीं सकती है। यह जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है इसमें तो पति की मिल्कीयत है, पति का जितना हिस्सा पत्नी का है चाहे वह स्थावर हो या अस्थावर अपनी उपाजित हो या अपनी उपाजित न हो, यह जो सुझाव है मैं इसका पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समाज में कुटुम्ब में छोटे-मोटे प्रोब्लम्स होंगे ही। ये जो प्रोब्लम्स होते हैं यह तो हर मनुष्य के व्यवहार में होते हैं। इतना होते हुए हम दूसरे कामों में यह सोचते नहीं हैं इन

प्रोब्लम की वजह से उस बात को छोड़ दे। हमारे समाज में ऐसे कई रीतिरिवाज हैं, कई कानून हैं जिनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। फिर भी हम ऐसे कानूनों को जो समाज के लिए लाभकारी हैं, समाज कल्याण के लिए जरूरी हैं, उनको रखते हैं। इसी तरह से इस कानून को कि इसमें प्रोब्लम्स होंगे इसलिए इसको निकाल दें, नकार दें, यह ठीक नहीं है। कहीं-कहीं ऐसी भी चर्चा होती है कि अगर लड़की को अधिकार दे दिया जाए तो कुटुम्ब में जो प्रेम का संबंध है उसमें तनाव आ जायेगा। क्योंकि आज तक बहन को मिल्लीयत देने का अधिकार देने की उम्मीद नहीं थी। शुरू शुरू में उनको एक्सेप्ट करने में प्रोब्लम्स जरूर होंगी। ऐसी प्रोब्लम्स तो भाई-भाई में मिल्लीयत के बंटवारे में भी होती है। यहां तक कि कोर्ट में चले जाते हैं। हम उस बारे में ऐसा नहीं सोचते कि भाई-भाई में मिल्लीयत के बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं इसलिए मिल्लीयत का बंटवारा करने का अधिकार ही छोड़ दें। भाई-बहन में मिल्लीयत के बंटवारे में झगड़ा होगा ऐसा सोच कर इसका विरोध करना मैं समझती हूँ गलत बात है। जो होता है वह होगा ही। हमें तो जो प्रोब्लम हैं उन्हें फेस करनी हैं। उनमें से रास्ता निकालना है। अगर वास्तव में समाज में लड़के का जितना अधिकार है उतना ही लड़की का अधिकार स्वीकार करेंगे और लड़की के जो ड्यू राइट्स हैं वह उनको दे देंगे तो झगड़ा होने वाला नहीं है। अगर प्रेम में बंटवारा कुटुम्ब में होता है तो कभी झगड़ा नहीं होगा, हम यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। कई क्रिटिक्स इसका विरोध कर रहे हैं यह गलत बात है। हमारी महिलाएं भी कई ऐसा सोच रही हैं कि भाई-बहन के रिलेशंस में तनाव आ जायेगा। यह उनका सोचना गलत है। महिलाओं को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए।

ऐसे ही दूसरे जो पहलू हैं। महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है उस वक्त उसके पास अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती। पिता के घर में

जब लड़की वापस आती है तो उसका कोई स्थान-सम्मान नहीं रहता है। अगर माता-पिता नहीं होते और भाई-भतीजा के साथ जीवन गुजारना हो, महिला पढ़ी-लिखी न हो, अपने पांव पर खड़ी न रह सके तो ऐसी परिस्थिति में उसकी हालत दयनीय होती है। मेहनत गजबूरी करके वह अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करती हैं। कभी कभी तो हालात ऐसी होती हैं कि समाज का पुरुष वर्ग उसका एक्सप्लोइटेशन करता है, ऐसे कई किस्से हमने देखे हैं। अगर मिल्लीयत में स्त्री का समान अधिकार मिलता है और वह उस मिल्लीयत को अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकती है या बिल बनाकर दे सकती है, अगर ऐसा अधिकार उसको मिलता है तो इससे पुरुषों पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जायेगा कि हमारी मिल्लीयत दूसरे घर में न चली जाये। समाज में चैक्स और बैलेंसेज खड़ा करने के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि स्त्रियों को यह अधिकार दिया जाए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने महिलाओं को राजकीय अधिकार दिए हैं लेकिन उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हमें 33 परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में दिया, पंचायत राज में दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि जहाँ आर्थिक समानता नहीं होती, वहाँ राजकीय समानता का कोई अर्थ नहीं रहता। आप सब जानते हैं कि आज भी महिलाएं पंचायतों की सदस्य हैं। लेकिन पंचायतों की मीटिंग में महिलाएं या तो जाती नहीं और अगर जाती हैं तो जो पुरुष मंबर कहते हैं वही जाती हैं और उनकी बतायी हुई जगह पर अगूँठा लगाकर चली जाती हैं। कहीं-कहीं तो घर पर ही उसके साइन ले लिए जाते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पत्नी के स्थान पर उनका पति मीटिंग में शामिल होता है और वह घर पर रहती हैं। नाम पत्नी का होता है। यह सब होता है और हमारे समाज में होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसे आर्थिक स्वाधीनता नहीं

हैं । अगर सच्चे तौर पर स्त्री को राजकीय अधिकार देना है, उसको डिसेजन मेकिंग प्रोसेस में उसको स्थान देना है तो हमें अधिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है । जब हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं तो हमें स्त्री के स्टेटस को प्रख्यापित करने के लिए आर्थिक अधिकार, मिलिकियत के अधिकार भी उसको देना चाहिए, यह बहुत जरूरी है ।

तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे समाज में त्यक्ता का स्थान नहीं होता है, वैसे ही समाज में विधवा की कोई इपोर्टेंस नहीं होती । विधवा चाहें कितनी ही पढ़ी-लिखी हो, वह कितने ही अच्छे घराने की हो, पैस वाली हो, फिर भी उसका स्थान कुटुम्ब में लास्ट होता है और एक दासी की तरह उसको काम करना पड़ता है । घर में बाहर निष्कलता - अभी तो बहुत से चेंज आ रहे हैं लेकिन कुछ साल पहले विधवा स्त्री घर से बाहर नहीं निकल सकती थी । अगर बाहर जाना हो तो मंदिर में ही जा सकती थी । कथा-वार्ता सुनने के लिए वह वहां जा सकती थी । लेकिन पब्लिक लाइफ में, सोशल वर्क में और राजनीति में भाग लेने का उनको अधिकार नहीं था । उनको अपने कुटुम्ब में राय देने का भी अधिकार नहीं था । अपने बच्चों को रक्षा के लिये, अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए सब कुछ सहकर वह अपने पिता के घर में या स्वसुर के घर में अपना निबाह करती थी । जो महिलाएं घर में लक्ष्मी की तौर पर आयी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, बच्चे हों या न हों, उसको उस घर में पूरे अधिकार के साथ रहना चाहिए जिस घर में वह अपने पिता के घर को छोड़ कर आयी है, बहुत बड़ा बलिदान करके आयी है । लेकिन इन महिलाओं को अपने पति के घर में भी कोई अधिकार नहीं है यह बड़ी कमनसीबी की बात है । स्त्रियां सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक घर में काम करती हैं । पति कुछ भी कमाता हो, उतनी छोटी सी आमदनी में अपना संसार निभाती

हैं लेकिन महिला का कोई एग्प्रिथेशन नहीं होता है । जब पति नाराज हो, सास समुर नाराज हों, या समुराल वाले कोई रिश्तेदार नाराज हों और उनके एक्स्प्लायटेशन का वह विरोध करे तो उसको घर से निकाल दिया जाता है । यह परित्यक्ता की स्थिति, विधवा की परिस्थिति हमारे समाज में है । अगर उसको मिलिकियत का अधिकार नहीं दिया गया तो विधवा की स्थिति में कोई भी सुधार आने वाला नहीं है । मैं ऐसे अच्छे-अच्छे घराने देखे हूँ जिनमें विधवा को मिलिकियत का मेनेजेंस का अधिकार नहीं है । खाना खाना हो तो घर में रहो, काम करो और खाओ, यदि अन्याय का विरोध करना है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, स्वतंत्र रहता है तो कुछ मिलने वाला नहीं है । अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाना, लिखाना है तो कुछ नहीं मिलने वाला है । उसके समुराल वाले जो तय करेंगे वैसे ही अगर उसको रहना है तो उसको भरण-पोषण का अधिकार रहना है । इसलिए इस परिस्थिति को बदलना चाहिए । शादी कर के आई हुई लड़की को अपने पति की मिलिकियत का पूरा अधिकार हो, भरण-पोषण का भी अधिकार हो, बच्चों के निर्वाह करने का और पढ़ाई का भी अधिकार हो । जिस तरह से वह अपना जीवन गुजराना चाहती है, वैसा जीवन जीने का उसको अधिकार हो । मगर यह तब होगा जब पति की मिलिकियत में महिला को आधा हिस्सा मिले । तभी यह परिवर्तन हो सकता है । थोड़ी देर पहले, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री कटारिया जी बोल रहे थे । मैं उनकी इस बात को दोहराना जरूरी समझती हूँ कि हमारे यहां की लड़कियां शादी कर के विदेशों में जाती हैं । हमारे ही देश के वहां रहने वाले लोग यहां आकर अपने समाज की लड़कियों के साथ शादी करके बहू को लेकर विदेश चले जाते हैं । जब लड़की वहां पहुंचती है तो मालूम होता है कि यह लड़का तो पहले से शादी-शुदा है और अपना पूरा संसार उसका बनाया हुआ है और इस लड़की को लौंडी की तरह से काम करने के लिए बहू के रूप में

लाया गया है। या तो उस लड़की को यह स्वीकार करना पड़ता है नहीं तो उसको विदेश में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कई लड़कियों को हमने देखा है। आजकल पत्र-पत्रिकाओं में बार-बार पढ़ते हैं। इसलिए इस सुझाव का अडिशन इस प्रस्ताव में करना बहुत जरूरी है, यह मैं अपनी बहन वाणा जी से विनती करती हूँ अगर विदेश में हमारे देश की महिलाएँ जाती हैं तो उनके पति की विदेशी मिलकियत में महिला को अधिकार दिये जाने का प्रावधान करना बहुत जरूरी है। यह बात कहते हुए मैं फिर से यह दोहराना चाहती हूँ कि महिलाओं को मिलकियत में पूरा-पूरा हिस्सा हो, यह बहुत जरूरी है। यह जो प्रस्ताव है यह एक प्राइवेट मेंबर का प्रस्ताव है, मैं ऐसा जानती हूँ कि हमारी सरकार यह प्रस्ताव भविष्य में सरकारी तौर पर यहां पर लाये और महिलाओं का दर्जा प्रस्थापित करने में मदद करे। आप सबका इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है। धन्यवाद। आभार।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) :**  
बहुत-बहुत धन्यवाद उमिला बहन। श्री विरूम्मी।

**श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल :**  
महोदया, जब बैंकवर्त कम्प्युनिटी पर अत्याचार होते हैं, माइनारिटीज के ऊपर अत्याचार होते हैं तो पूरा हाउस खड़ा हो जाता है और टाडा के प्रोविजन की डिमांड करते हैं। अगर महिलाओं पर अत्याचार हों तो पुरुषों के ऊपर भी टाडा-याडा का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा (व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) :**  
अगर होम मिनिस्टर साहब यहां होते तो मैंने भी आपके सुर में अपना सुर जवाइन किया होता कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं तो पुरुषों के ऊपर भी टाडा लगाया जाये। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** मैं होम मिनिस्टर साहब को सूचित कर दूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) :**  
देखिये, सिर्फ तीन ही महिलाएँ हाउस में हैं और टाडा की मांग कर रही हैं पुरुषों के खिलाफ।

**SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBAL :**  
Madam Vice-Chairman, I stand here to support the Bill moved by the hon. Member, Thirumahi Veena Verma. This Bill has been brought forward to protect the rights of married women. They want equal right in the husband's property. They want their basic needs to be met on an equal footing. They want access to children in case of a divorce. In case of death of their husbands, as widows, they want employment. Regarding property of the husband, as the first claimant, they want absolute right

Even though I support this Bill, I think it is not a comprehensive one. Some arguments may be put forward by the hon. Minister. He will request the hon. Member to withdraw the Bill. That is the usual practice which we have been seeing on all Fridays. How many Private Members' Bills have been introduced and discussed during the last three years? How many assurances have been given by the Treasury Benches that they are going to bring a comprehensive Bill? How many Bills have been actually brought forward on the basis of such assurances? I feel that it is a futile exercise. But in spite of that, as Members of this august House, we have got some duty to perform. In that sense I stand here to say something on this Bill.

Madam, before we go through the Bill we should know the condition of the society in which the women are suffering. First comes the condition, secondly, the reason and, thirdly, the remedy. I feel that should be the approach. Recently there was an article in the *Indian Express*, in which it was stated and I quote.

“The stresses and strains of city life leading to domestic disharmony have started taking their toll. Due to marital discord, the courts in different



parts of the country, particularly in cities, are flooded with divorce petitions.

The national capital Delhi is heading the list with 8,000 to 9,000 petitions filed in a year, followed by Bombay where the divorce cases have more than doubled in the last one decade.

In Punjab and Haryana High Courts, in recent years, there is an increase of 150 per cent. Kerala, the land of literates and Gulf money, has an increase of 350 per cent during the last 10 years. So also in Calcutta, where the interest rate is 10 per cent, but it is significant and gradual. Madras considered the bastion of tradition, has an annual increase of 15 per cent in the past few years, and more than 1,000 petitions were filed last years.

Madam, this is the situation. At least, as regards the divorce mentally, I think we have got integration. This is the situation throughout India.

Madam, I support this Bill because the situation is a very dangerous one. If it is left like that, the future generation will be affected. The party to which I have the honour to belong always supports a rational approach. We support social development. Dr. Kalaignar, when he was the Chief Minister of Tamil Nadu, had introduced several Bills to uplift the downtrodden as well as women. Coming only to women's issue, I say, Madam, that during the D.M.K. rule we had passed a Bill, which, I think, became law, in respect of the right to inherit property of the parents. Before the only sons could inherit the property. Now, both son and daughter have equal right.

**SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:**  
Have married daughters got a right?

**SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:**  
Yes, married daughters also. Then thirty per cent of the seats in all branches of the co-operative organisations as well as in local bodies were reserved for women. As for the poor girls, we introduced a scheme under which the Tamil Nadu Government was giving them, if they

were not able to get married, an amount of Rs. 5,000, provided they studied up to the eighth standard. We put this condition so that at least they could go to the school and finish their study up to 8th standard. We also supported widow re-marriages. We have also supported them financially. Madam, when Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu, he tried his best to uplift the women folk. Madam, we feel that the same thing should extend to other States also. I feel that women are subjected to ordeal for centuries together. Even Sita was forced to prove her chastity. She did not suspect the character of Rama. But she had to prove her chastity some 2000 years ago. Somebody talked about Ravana also. We feel that the war between Rama and Ravana was a Devasura Yuddha. According to Pandit Jawaharlal Nehru, this was actually was between two races, i.e. Aryans and Dravidians. In that context I said that Ravana did not touch Sita. But, Sambuka was murdered. He did not do anything wrong. He was in a meditative condition. Unfortunately, he was born as an untouchable. He was murdered by Rama. It is a totally different matter. I don't want to go into that.

Coming back to the Bill, Madam, there are many lacunae in the Bill. I fully agree that they must have the rights. I would like to read Clause 5(2). It says:

"Any transaction or business entered into in violation of sub-section (6) of section 3 shall be null and void."

That is what they say. What is the violation? What does sub-section (6) of section 3 say? It says:

"She shall be consulted by her husband in matters of family business and other financial transactions made out of the property of her husband or of the joint family."

If the property is sold by the husband without consulting his wife then automatically it becomes null and void.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:

There should be mutual consent.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

I agree with that. Then there is another controversy. Section 3(3) says:

"She shall be entitled to have an equal share in the property of her husband from the date of her marriage and shall also be entitled to dispose of her share in the property by way of sale, gift mortgage, will or in any other manner whatsoever."

I would like to inform that a woman can sell the property without the consent of her husband but a man cannot sell the property without the consent of his wife. I feel that some lacuna is there. This aspect has to be looked into. I know they are not going to accept it.

Now, the thing is, it is not that by law alone we can solve all the problems. According to the Hindu Succession Act, when a man dies, only his wife gets the property. Now, this Bill is brought forward to see that a woman can enjoy the property rights even when her husband is alive. I think there is no harm in it. She must have equal rights. Then there are dowry deaths, wife-beating, murders, etc. These things are bad. I think harassment from both the sides, i.e. from the male side and from the female side is very bad.

You cannot find any conflict between a daughter-in-law and her father-in-law. Conflicts always arise between a daughter-in-law and her mother-in-law. A mother-in-law does not want to give any rights or share in properties to her daughter-in-law. Similarly, even sisters-in-law are not ready to give any rights to their

own sister-in-law. This is the real situation. If we do not address this problem, then, one day the male Members have to bring another Bill to safeguard their own rights. That type of a situation should not arise.

Another situation is that generally women want to have children in their custody even after divorce. I fully agree that they must have this right. But, as regards one issue which was raised by hon. Gautam, if a woman inherits the property as a wife and, after divorce, happens to remarry and leaves her children in the lurch, what will be the position of these children, who are deserted by their father as well as their mother? They will only become orphans and be not left with any property even though they would be the legal inheritors of such property. There is no provision in this Bill as regards this point. In case of such a situation, what will be the relevant provision? This aspect has to be looked into.

The prevailing situation is that it is a woman herself who harasses another woman. For instance, after having lived as a daughter-in-law, once she becomes a mother-in-law, she acts as a typical mother-in-law. She does not realise that having been subjected to ill-treatment in the earlier days she should serve as an ideal mother-in-law. Seventy to eighty per cent of the women do not think like that. This is the situation that prevails irrespective of religion or caste, in any State, for that matter. That is the common phenomenon in this country. Apart from legal divorces, there are instances of separations because of social reasons. No census has been taken to find out how many families have been separated this way. Unless this is found out, we cannot determine the real gravity of the problem. The Government should take this aspect into consideration while finalising this Bill. The Government should have consultations on this issue with eminent persons concerned and bring a comprehensive Bill so that in future there will not be any necessity for bringing in another

Bill covering various other aspects. I hope that the Minister will not merely give an assurance but that he will see to it that a comprehensive Bill is brought in. This is not a comprehensive Bill, according to my perception. It is only when a comprehensive Bill is brought in, will the rights of women be actually protected.

One major issue is that of women's education. If a man is educated, he alone is educated, but if a woman is educated, then the whole family is educated. We know what the culture prevailing in India is. In Tamil there is a proverb saying that a man is 'Rama' inside the House. But, he should be a 'Rama' the House but he is a 'Krishna' outside inside as well as outside the house. I think this would please Mr. Goutam at least. The right to education is one of our Directive Principles itself. What have we done? Why have we not implemented the Directive Principle? We have not taken it seriously. If we had taken it seriously, then, women could have got education up to the matric level at least. If, at least, sixty per cent of the women had got their education, most of the problems that we are confronting today would have been wiped out. It should be some sort of a theory inculcated in the minds of the people of India to see to it that the womenfolk are protected because it is they who constitute half of our population, half of our lives. In my opinion, the idea behind this Bill is totally welcome. I would like to congratulate the hon. Member who has brought forward this Bill. At the same time, it should be a comprehensive one. Therefore I request the hon. Minister to bring another comprehensive Bill covering all the issues concerned.

With these words, I thank you very much.

श्री जलालुद्दीन खानगरी (निवार) :  
मैंडम, सबसे पहले मैं श्रीमती वीणा वर्मा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस सवाल को प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम

से पेज किया। इस बिल का मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से। दुख की बात यह है कि दुनियाँ और हमारा देश अब कुछ वर्षों के बाद इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन आप देखें हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? कुल आबादी का 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं, लेकिन वे शिक्षा से ग्रसित हैं। आजादी के 48 साल होने जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की शिक्षा के लिये, उनके विकास के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये कोई समुचित व्यवस्था हमारे समाज और हमारी सरकार की ओर से नहीं की गई है। यही कारण है आज हमारी महिलाएँ समाज में उधेकित हैं, प्रताड़ित होती हैं और यहां दहेज प्रथा है, इसके कारण हमारी बहनें और बेटियाँ आज दर्दनाक स्थिति में हैं।

मैंडम, हमारी बहन उमिला जी ने यह सवाल उठाया कि हमारी लड़कियाँ विदेशों में चली जाती हैं विदेशियों के साथ शादी करके। आखिर क्यों चली जाती हैं? इसके दो कारण हैं— एक कारण यह है कि दहेज प्रथा परिवार को मजबूर करती है कि वह अपनी बेटियों को किसी के हथाने कर दें और दूसरा कारण है गरीबी। हमारे भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन व्यवहार में यह समानता का अधिकार है कहाँ? समुच्च में महिलाओं को समानता का अधिकार तभी प्राप्त होगा, जब उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। हमारी सरकार और हमारे समाज को इनके लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। वैसे तो लड़कें—लड़कियों, बेटों के लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन आज जो विशेष स्थिति है हमारे समाज में वच्चियों की और महिलाओं की, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस बिल के माध्यम से और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकषित करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि कचनी और करनी में मेंल हो। किसी भी सभ्य समाज को विकसित करने के लिये आवश्यक

है कि आबादी की इस आधी संख्या को आप शिक्षित करें, उनको बराबरी का दर्जा दें, उनको समाज में बराबरी का सुअवसर प्रदान करें ताकि वह भी विकास कर सकें और जो पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई बनी हुई है, असमानता बनी हुई है, वह असमानता दूर हो।

मैडम, हमारे कुछ मित्रों ने आशंका जाहिर की कि अगर संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा तो विवाद खड़े होंगे। आज का अधिकार नहीं है तो क्या महिलाओं के साथ पुरुषों का विवाद नहीं है? आज जूडिशियल सेपरेशन क्यों किया जाता है, तलाक क्यों दिया जाता है, उनको प्रताड़ित क्यों किया जाता है? आज तो कोई संपत्ति का अधिकार या इसमें कोई ऐसा हक नहीं है, जिस हक की मांग इस बिल के माध्यम से की गई है, कारण क्या है, आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा समाज आज भी सामन्ती समाज है और हम लोग हैं वह सामन्ती संस्कार से ग्रसित हैं। बुरा नहीं मानेंगे, माफ करेंगे। हम लोग जो पुरुष हैं, वे सामन्ती संस्कार से अभी भी ग्रसित हैं। अपने को प्रगतीशील कहते हैं, अपने को क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात आती है तो हमारा वह सामन्ती संस्कार जाग जाता है और फिर हम कोई न कोई बहाना ढूँढने लगते हैं कि महिलाओं को यह अधिकार देने से यह विवाद पैदा हो जाएगा, वह विवाद पैदा हो जाएगा। तो आप और बेंचे में क्यों विवाद पैदा होता है, भाई-भाई में क्यों विवाद पैदा होता है? विवाद तो पैदा होते हैं, होंगे, लेकिन विवाद का समाधान

ढूँढने का काम भी हमारा है और सही मायनों में महिलाओं को अगर आप तरक्की देना चाहते हैं, उनका उत्थान चाहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो यह प्रधान जवाबदेही हमारी है, पुरुषों की है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें और उनको हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार व्यवहार में दें, कानून में नहीं। कानून तो बहुत बने हुए हैं। क्या बलात्कार करने का कानून है? लेकिन आज बलात्कार हो रहे हैं। हमारे मित्रों ने सही ही कहा कि अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जाता है कि लड़की होगी या लड़का होगा और अगर यह पता चले कि लड़की होने वाली है तो एबार्शन करा लिया जाता है, हालांकि सरकार ने एबार्शन को अवैध करार दिया है।

मैडम, भारतीय समाज को अगर हम देखें तो शुरू में भारतीय समाज मात-प्रधान समाज था, लेकिन जब समाज में निजी सम्पत्ति का जन्म हुआ तो धीरे-धीरे समाज में सम्पत्ति का अधिकार पुरुषों को होने के कारण वह मात-प्रधान समाज बदलकर पित-प्रधान समाज बन गया और आज हमारा समाज पित-प्रधान समाज है। मैं इतिहास की व्याख्या करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, कि इस बिल के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है, इसमें कुछ लेक्यूना हो सकते हैं, अनियमितताएँ हो सकती हैं, यह सब बातें मानने की हैं, लेकिन हमारा निवेदन होगा सरकार से कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल आप लाइए ताकि महिलाओं को सही मायनों में जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का

अधिकार मिल सके, जिसमें सम्पत्ति का अधिकार होना भी आवश्यक है। हमारा समाज तो ऐसा है कि अगर मेन्टिनेंस देने की बात आती है तो समाज में बवाल शुरू हो जाता है, हंगामा मच जाता है। हमारे सोचने का विषय यह है मानवीय दृष्टिकोण से कि जो किसी की पत्नी बनती है वह भी तो समाज में किसी न किसी की बहन और बेटी है। अगर इस मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जो सच्चाई है जीवन की, समाज की और इस दुनियाद पर अगर अपने को देखें तो निश्चित तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और यह जवाबदेही हम पुरुषों की है। कुछ तो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा और भारतीय समाज को अगर सचमुच आगे बढ़ाना है तो यह 50 प्रतिशत की जो आवादी है, इसको समाज में एक विशेष अवसर प्रदान करना पड़ेगा, जैसे समाज के कुछ अलग-अलग तबकों को, वर्गों को आप विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगर समाज की यह 50 प्रतिशत आबादी अक्षरशः के गत में रहेगी, प्रताड़ित होती रहेगी, उसको समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी तो भारतीय समाज को हम 21वीं सदी में नहीं ले जा सकते हैं।

मैं बहुत ही मंजीदगी के साथ और जवाबदेही के साथ यह बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहता लेकिन इस विज का समर्थन करते हुए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में एक कांफ्रिडेंसिव बिल लाए ताकि महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार

मिले। इससे बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कौन कहता है बिगड़ जाएगा? हम लोगों का अपने जीवन का तजुर्वा है कि अगर हमारा व्यवहार ठीक रहे तो पत्नी का व्यवहार भी ठीक रहता है। हमारे समाज में पति लोग क्या चाहते हैं कि हम खुलेआम दूसरी महिलाओं से मिलें और अगर उनकी पत्नी दूसरे मर्दों से बात भी कर ले तो यह उनको बरदाश्त नहीं होता। तो आपको यह अधिकार है और पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मर्द से बात भी कर ले। इतना अविश्वास आपको कैसे हो जाता है? इतने वर्षों से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। आप इतना अविश्वास क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है इसीलिए आपको अविश्वास होता है।

हम लोगों के भी बात-वच्चे हैं, पत्नी है। हम लोगों ने कोई ननावपूर्ण जीवन तो नहीं बिताया है। कष्टमय जीवन हमने अवश्य बिताया है लेकिन पत्नी ने बैटर-हॉक के रूप में सहयोग किया है। इसलिए यह कहना कि अगर पत्नी को यह अधिकार मिल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वह सब लेकर चली जाएगी, यह ठीक नहीं है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और पुनः जोरदार तरीके से मांग करता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, व इस बारे में एक बिल लायें ताकि महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में यह अधिकार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

شرعی جلال الدین المصباحی بہار :  
 میڈم سب سے پہلے میں شکایتی وزیر اور  
 سچی کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس  
 سوال کو پراسٹیوٹ جمہوریل کے ماتھے سے  
 پیش کیا۔ اس بل کا میں سو لگتا کرتا ہوں  
 اپنی اور سے اور اپنی پارٹی کی اور سے۔  
 دکن کی بات یہ ہے کہ دنیا اور ہارلش  
 اب کچھ ورثوں کے بعد اکسوس وری  
 میں پرورش کرنے جاب ہے لیکن آپ دیکھیں  
 ہمارے سماج میں مہلاؤں کی استحق کیا  
 ہے کل آبادی کا ۵۰ پرسینٹ مہلائیں  
 ہیں لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں آزادی  
 کے ۲۸ سال ہونے جا رہے ہیں لیکن  
 مہلاؤں کی شکشا کے لئے ان کے دکان  
 کے لئے ان کی سرکشا کے لئے کوئی سمجھتا  
 دلوں سمجھا ہمارے سماج ہماری سرکار کی طرف  
 سے نہیں کی گئی ہے یہی کارن ہے آج  
 ہماری مہلائیں سماج میں اپیکشت ہیں۔  
 پرتاڑت ہوتی ہیں اور یہاں تک وسیع  
 پرتھا کا اس کے کارن ہماری بہنیں  
 اور بیٹیاں آج درزاکی استحق میں ہیں۔  
 میڈم ہماری بہن ار ملا سچی نے یہ  
 سوال اٹھایا کہ ہماری لڑکیاں دلشور میں  
 چلی جاتی ہیں دلشیوں کے ساتھ شادی  
 کر کے آخر کیوں چلی جاتی ہیں اس کے

دو کارن ہیں ایک کارن یہ ہے کہ در سچ  
 پروتا پر لوار کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی  
 بیٹیوں کو کسی کے حوالے کر دے اور دوسرا  
 کارن یہ ہے غریبی ہمارے ہمارے سمجھان  
 نے مہلاؤں کو سمانتا کا ادھیکار دیا ہے۔  
 لیکن دیو ہار میں سمانتا کا ادھیکار ہے کہ ہار  
 سچ مچ میں مہلاؤں کو سمانتا کا ادھیکار بھی  
 پر اپت ہو گا جب انہیں انوار یہ اور فی شک  
 شکشا پر اپت ہو گی ہماری سرکار اور  
 سماج کو ان کے لئے فی شک اورانی وار یہ  
 شکشا کی دیو سمجھا کرنی ہو گی۔ ویسے تو  
 لڑکے لڑکیاں دونوں کے لئے یہ دیو سمجھا  
 کرنی چاہیے لیکن آج جو وضعی استحق  
 ہے ہمارے سماج میں بچیوں کی اور مہلاؤں  
 کی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم  
 اس بل کے مادھیم سے اور سدن کے مادھیم  
 سے سرکار کا دھیان آخر شت کرنا چاہتے ہیں  
 اور مانگ کرتے ہیں کہ کھیتی اور کرنی میں  
 میل ہو۔ کسی بھی سمجھیم سماج کو وکست  
 کرنے کے لئے آدھیک ہے کہ آبادی کی اس  
 آدھی سنکھیا کو آپ شکشت کریں ان کو  
 برابری کا درجم دیں ان کو سماج میں برابری  
 کا "سواؤس" بران کریں تاکہ وہ بھی دکان  
 کر سکیں اور جو پرشوں اور مہلاؤں کے بیج  
 ایک کھائی بنائی ہوئی ہے اسے نمانتا بنی

ہوتی ہے۔ وہ اسے سماتا دور مہ۔  
 میڈم۔ ہمارے کچھ مہتروں نے آشنا  
 ظاہر کی کہ اگر سمیچی میں مہلاؤں کو ادھیکار  
 دیا جائے گا تو دیو ادکھڑے ہوں گے آج  
 یہ ادھیکار نہیں ہے تو کیا تمہلاؤں کے  
 ساتھ پریشوں کا دوا نہیں ہے۔ آج ہوڈا شیل  
 سپریشن کیوں کیا جاتا ہے۔ بلاق کیوں  
 دیا جاتا ہے۔ ان کو پتا چلتا ہے کیوں کیا  
 جاتا ہے۔ آج تو کوئی سمیچی کا ادھیکار یا  
 اس میں کوئی ایسا حق نہیں ہے جس حق  
 کی مانگ اس بل کے مادہ ہم سے کی گئی ہے  
 کارن کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سپن کرنا  
 چاہتا ہوں۔ ہمارا سماج آج بھی سمانت  
 سماج ہے اور ہم جو لوگ ہیں وہ سمانتی  
 سنسکار سے گزرتے ہیں۔ برا نہیں مانیں گے  
 معاف کریں گے۔ ہم لوگ جو یوروش ہیں  
 وہ سمانتی سنسکار سے ابھی بھی گزرتے  
 ہیں۔ اپنے کو پرگتی شیل کہتے ہیں۔ اپنے  
 کو کوانتی کاری کہتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ  
 ہے کہ جب مہلاؤں کو براہیجا کا ادھیکار  
 دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا وہ سمانتی  
 سنسکار جگ جاتا ہے اور ہم کوئی نہ  
 کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ مہلاؤں کو  
 یہ ادھیکار دینے سے یہ دوا پیدا  
 ہو جائے گا۔ وہ دوا دینا یہاں ہوجائے گا۔

لو باب اور بیٹے میں کیوں دوا پیدا ہوتا  
 ہے۔ بھائی بھائی میں کیوں دوا پیدا ہوتا  
 ہے۔ دوا تو پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونگے  
 لیکن دوا کا سماج دھان ڈھونڈنے کا کام  
 بھی ہمارا ہے اور صحیح معنوں میں اگر  
 مہلاؤں کو آپ ترقی دینا چاہتے ہیں ان  
 کا اٹھان چاہتے ہیں۔ ان کو سرکھشا پردان  
 کرنا چاہتے ہیں تو یہ پردھان جو اب بھی  
 ہماری ہے۔ پریشوں کی ہے کہ ہم ان کو  
 سرکھشا پردان کریں اور ان کو برا کشتیر  
 میں براہیجا کا ادھیکار دیو بار میں دیں۔  
 قانون میں نہیں۔ قانون تو بہت بڑے ہوتے  
 ہیں۔ کیا بلا تکار کرنے کا قانون ہے لیکن  
 آج بلا تکار ہو رہے ہیں ہمارے مہتروں  
 نے صحیح کہا ہے کہ الٹرا سٹوڈ کے ذریعہ  
 پتہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا  
 اور اگر یہ پتہ چلے کہ لڑکی ہونے والی  
 ہے تو بورشن کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ لڑکا  
 نے بورشن کو اذیت دہ قرار دیا ہے۔

میڈم۔ بھارتیہ سماج کو اگر ہم دیکھیں  
 تو شروع میں بھارتیہ سماج پردھان سماج  
 تھا۔ لیکن جب سماج میں نجی سمیچی کا جنم ہوا  
 تو دھیرے دھیرے سماج میں سمیچی کا ادھیکار  
 پریشوں کو ہونے کے کارن وہ ماتر پردھان  
 سماج بدل کر تیر پردھان سماج بن گیا ہے

اور آج ہمارا سماج چتر پردھان سماج ہے  
میں آہا اس کی دیا گیا کرنے کے لئے  
یہاں کھڑا نہیں ہوا ہوں لیکن میں سون  
کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے  
وانٹے منتری گن بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ  
ہو اس بل کے مادھیم سے سون کا دیا  
آگوشٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ لیکچر  
ہو کر ہے۔ اسے نہتا میں ہو سکتی ہیں  
یہ سب باتیں ماننے کی ہیں لیکن ہمارا  
نویں ہم گامرکار سے کہ ایک کمیڑی ہنس  
بل آپ لائے تاکہ مہلاؤں کو صحیح معنوں  
نہتا میں کے ہر کشیریں برابر کا اڑھیکار  
مل سکے جس میں سبب کا اڑھیکار ہونا  
بھی آوشیک ہے۔ ہمارا سماج تو ایسا ہے  
کہ اگر منٹینس دینے کی بات آتی ہے  
تو سماج میں وبال شروع ہو جاتا ہے۔  
ہرنگامہ مچ جاتا ہے تو ہمارے سوچنے کا  
وشے یہ ہے مانو یہ درشتی کون سے کہ  
جو کسی کی پتی بنتی ہے وہ بھی تو سماج  
میں کسی نہ کسی کی بہن اور بیٹی ہوتی  
ہے۔ اگر اسے مانو یہ درشتی کون کو اپنا یا  
جائے جو بچائی ہے حیون کی سماج کی اور  
اس بنیاد پر اگر اپنے کو دیکھیں تو شجرت  
طور پر مہلاؤں کے آقان کے لئے ان کے  
سرکھٹا کے لئے ان کو حیون کے ہر کشیر

میں سمان اڑھیکار دینے کے لئے ہم کو آگے  
آنا پڑیگا۔ اور یہ جو بد ہی ہم پرشوں کی  
ہے۔ تو کچھ جو ہمارے سنسکار ہیں۔ ان  
سنسکاروں کو چھڑنا پڑیگا اور بھارتیہ سماج  
کو اگر سچ آگے بڑھنا ہے تو یہ ۵۰  
پریشیت کی جو آبادی ہے اس کو سماج میں  
ایک ویشیش اور پردان کرنا پڑیگا۔ جیسے  
سماج کے کچھ انگ انگ طبقوں کو درگوں  
کو آپ ویشیش اور پردان کر رہے ہیں اگر  
سماج کی یہ ۵۰ پریشیت آبادی اشکشا کے  
کے گوت میں رہے گی۔ پڑتارت ہوتی رہے گی  
اس کی سماج میں کوئی پریشٹھا نہیں ہوگی  
تو بھارتیہ سماج کو ہم ۱۱ ویں صدی میں  
نہیں لے جاسکتے ہیں

شری جلال الدین "جاری" ہیں بہت  
ہی سیدنی کے ساتھ یہ بات آپ کے  
سمکش رہ رہا ہوں۔ میں زیادہ سچے اس  
پر نہیں اپنا چاہتا لیکن اس بل کا ہم حق  
کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سرکار  
اس بار سے میں ایک کمیڑی ہنس بل لائے  
تاکہ مہلاؤں کو سچی کی سبب میں اڑھیکار  
ملے۔ اس سے بہت کچھ بگڑنے والا نہیں  
ہے۔ کون کہتا ہے کہ بگڑ جائے گا ہم لوگوں  
کا اپنے حیون کا تجربہ ہے کہ اگر ہمارا  
دو بار ٹھیک ہے تو پتی کا ویلار بھی



ٹھیک رہتا ہے۔ ہمارے سماج میں بچی لوگ کیا جانتے ہیں کہ ہم کھلے عام دوسری مہلاؤں سے ملیں اور اگر ان کی بچی دوسرے مردوں سے بات بھی کرے تو یہ انکو براہمت نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ ادھیکار ہے اور بچی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی مرد سے بات بھی کرے۔ اتنا اسے دشوار اس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے۔ اتنے ورشوں سے آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے۔ آپ اتنا اسے دشوار کیوں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اس لئے آپ کو اسے دشوار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے بھی بال بچے ہیں۔ بچی ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی تناؤ لوہرن جیون تو نہیں بتایا ہے۔ کشش ہے جیون ہم نے آؤشے بنایا ہے لیکن بچی نے بیٹو کے ہاٹ کے روپ میں سہیوگ کیا ہے اس لئے یہ کہنا کہ اگر بچی کو یہ ادھیکار مل جائے گا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ سب بے کربلی جائے گی یہ ٹھیک نہیں ہے۔

ہوئے۔ انہیں شہدوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرقین کرتا ہوں اور اپنے نذر دار طریقہ سے مانگ کرتا ہوں کہ ہمارے مانشیہ منتری ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ

اس بارے میں ایک بل لائیں تاکہ مہلاؤں کو جیون کے سبھی کشیروں میں یہ ادھیکار مل سکے۔

ان شہدوں کے ساتھ میں اپنی بات سمایت کرتا ہوں۔ ”دھنیہ واہ“

श्री ईश दत्त यादव : (उत्तर प्रदेश)  
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया। श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी अपने देश में नारी को पुष्प के बराबर अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं श्रीमती वीणा वर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, हिंदू माईयोलॉजी के हिसाब से पत्नी को अर्द्धांगिणी माना जाता है। इस देश में हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और उन्होंने महिलाओं की स्थिति का बड़ा दर्दनाक चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि—

“अबला जीवन हाथ तेरी यही कहानी,  
आंचल में है दूध और आखो में पानी”

इसलिए वीणा जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ इस बिल को यहां प्रस्तुत करने के लिए। कानून में जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उसके पीछे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि जब से सृष्टि है, उस समय से लेकर आज तक समाज ने महिलाओं को ह्रदयाहीन दृष्टि से ही देखा है। मैडम, यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार में लड़के का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है तो खुशी मनाई जाती है, गाना-बजाना भी होता है। इस प्रकार अपनी हैसियत के मुताबिक जिसके लड़का पैदा होता है वह खुशी

[श्री ईश दत्त यादव]

मनाता है। लेकिन अगर किसी परिवार में लड़की पैदा होती है, मैं सबके लिए तो नहीं कहना चाहता लेकिन लड़की के पैदा होने पर वह खूशी नहीं मनाई जाती। लोगों ने बच्ची को समाज में अभिशाप समझा है, लोगों ने बच्ची को लाईविलिटी समझा है कि हमारे ऊपर वह कर्ज लद गई या हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। इस तरह की समाज की मान्यता होती है। बच्ची जब बड़ी हो गई तो भी उसको कोई अधिकार नहीं है। जो सामाजिक परम्परा है उसके हिसाब से लड़की को पर्दे में रहना है। मां-बाप के घर रहना है तो मां-बाप का अंकुश उनके ऊपर है और जब पति के घर चली गई तो पति का अंकुश है और प्रताड़ना दोनों ही हैं। उसको समाज का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम समझते हैं कि इसी पृष्ठभूमि में इस देश के कानून में भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। मैडम, इस देश में 4-5 कानून हैं। जो मेरी जानकारी में हैं वह हैं - हिन्दू लाँ, हिन्दू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लाँ, स्पेशल हिन्दू मैरिज एक्ट। यह तो जनरल हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोपर्टी को छोड़ करके लागू होते हैं। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, जो इस तरह की भूमि है उसके लिए राज्य सरकार ने अपने अलग-अलग कानून बना रखे हैं। लेकिन जिन कानूनों के बारे में मैंने कहा, हिन्दू लाँ, मुस्लिम लाँ, हिन्दू मैरिज एक्ट, स्पेशल हिन्दू मैरिज एक्ट, इन कानूनों में महिलाओं की उपेक्षा की गई है मैं दूसरे कानूनों की समीक्षा नहीं करना चाहता। मैडम, हिन्दू लाँ में जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, जो हमारे नेता थे, जिन्होंने इस कानून की रचना की उन्होंने महिलाओं को बहुत दबे हुए मन से और मैं समझता हूँ कि दुःखित मन से और संकोच की भावना से उन्होंने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए और कहा कि महिलाओं के लिए केवल स्त्री धन हो। स्त्री धन की भी व्याख्या उस कानून में की गई। शादी के समय वह लड़की जो भी सम्पत्ति पाती है चाहे अपने पिता की और से पाए या समुराल वालों की और से पाए, वही स्त्री धन है और उसी की

वही मालिक है। जिन्होंने इस कानून की रचना की, उन लोगों ने भी दबे मन से इस काम को किया और हमेशा उपेक्षा की भावना से देखा। मैडम, जहाँ तक टोनेंसो लाँ का सवाल है, जमीन संबंधी कानूनों का सवाल है, हम समझते हैं कि शायद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल लैंड में महिलाओं को अधिकार दिया गया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के बड़े नेता थे और इस देश के प्रधान मंत्री भी थे, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया तथा उत्तर प्रदेश के टोनेसी एक्ट को रिपील किया तो हम समझते हैं कि कृषि संबंधी जमीन भूमि है उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार दिया। लेकिन श्रीमती मीणा वर्मा जी का जो उद्देश्य है, जो इनकी भावना है उस भावना के अनुरूप यह कानून भी नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे देश के किसी कोने का कोई कानून हो, श्रीमती मीणा वर्मा जी जो चाहती हैं सही चाहती हैं, उसका मैं मर्थन करता हूँ। इस तरह का इस देश के अंदर कोई कानून नहीं बना। कानून क्या बना कि अगर पति मर जाएगा तो उसके मरने के बाद पत्नी का हिस्सा हो जाएगा और जो इतना लम्बा पीरियड चलेगा, इस पीरियड में अगर पत्नी की प्रताड़ना की जाती है, उसकी उपेक्षा की जाती है तो पत्नी के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। सिवाय कि हमारे कटारिया जी कह रहे थे कि मेंटेनेंस के लिए वह अदागत ऋण ले और तो कोई रास्ता नहीं है। और अगर उसके मन में सम्पत्ति का जरा भी लालच है जो कि बहुत स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अगर पति के मन में जरा भी सम्पत्ति का लालच है तो कितने दिन वह इंतजार करेगी कि मेरा पति मर जाए और मैं सम्पत्ति की मालिक हो जाऊँ? उसको बहुत लंबे पीरियड तक इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की कानून में विसंगति है और महिला के साथ भेदभाव किया गया है और शुरु से नारी को कमजोर समझा गया। हीनता की भावना से देखा गया।

मैडम, इस देश में सब कुछ हो गया महिला देश की प्रधान मंत्री हो सकती है।

मन्त्री हो सकती है, आप जिस आसन पर बैठी हैं, उस पर आसीन हो सकती हैं किन आज भी जो समाज का कानून है, व देश का कानून है, भारत सरकार का तो कानून है, उस कानून में आज भी मैं आपके साथ कहता हूँ कि महिला को तो सम्मान मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वह हक दिया नहीं है और उसको सम्मान भी नहीं दिया गया। लेकिन अब कानून मंत्री जी भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, विधिवेत्ता हैं, मैं इनसे कहूँगा, ये तो अनुरोध ही करेंगे और वीणा जी मान जाएंगी और इस बिल को वापस ले लेंगी लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर भीरता से विचार करे और इस तरह का कानून बनाए कि महिला और पुरुष में इस देश में कोई भेद न रहे।

मैडम, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बंगलादेश की प्रसिद्ध जेम्बिका हैं तसलीमा नसरीन। उनका मैं लेख पढ़ रहा था परसों जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं डायरी नहीं रखती और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि डायरी इसलिए नहीं रखती हूँ कि डायरी के पहले पेज पर लिखा जाता है नेम, फादर्स नेम, वाइफ्स नेम, हाऊ मैनी चिल्ड्रन, ब्लड ग्रुप, वेट, पास बुक नंबर आदि-आदि। उन्होंने कहा कि मैंने किसी डायरी ने नहीं देखा कि लिखा हो हस्बैंड्स नेम, पति का नाम लिखने के लिए किसी डायरी में नहीं छपा, न डाका में, न बंगलादेश में और न किसी और देश की डायरी में छपा और इसलिए तसलीमा नसरीन ने कहा और उनकी व्याख्या यह है कि महिला को यहां कोई स्थान नहीं दिया गया। बच्चा पैदा हुआ, स्कूल में पढ़ने चला गया तो उसका नाम, फादर्स नेम लिखा जाएगा, पिता का नाम लिखा जाएगा और माता का नाम कहाँ है, उसकी परवाह इस देश के अन्दर किसी को नहीं है तो इसलिए इस देश के समाज ने और इस देश के कानून ने, दोनों ने महिला की उपेक्षा की है।

श्री संघ प्रिय गौतम : और तसलीमा नसरीन ने यह सही बात कही है ?

श्री ईश दत्त यादव : उनकी बातों को तो मैं सही मानता ही हूँ। तसलीमा नसरीन की बातें जो हैं, आप गलत मान सकते हैं, मैं तो सही मानता हूँ। तो मैडम मैं आपसे अनुरोध कर रहा था। कि श्रीमती वीणा वर्मा जी की जो मंशा है, उस मंशा के बारे में सरकार को और कानून मंत्री जी को, विधि मंत्री जी को, इनके कानून विभाग के लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कानून किस तरह में बनाया जाए क्योंकि मैडम, यह भी कोई आसान काम नहीं है। मान लें कि एक लड़की की शादी हुई एक लड़के के साथ और लड़के के नाम से कोई प्रापर्टी नहीं है, लड़के के नाम से कोई सम्पत्ति नहीं है। लड़के के बाप के नाम से सारी सम्पत्ति पड़ी हुई है तो फिर वह लड़का और उसकी पत्नी दोनों इंतजार करेंगे कि “हे मेरे बाप, कब मरेंगे आप?” कितनी जल्दी आप मर जाएंगे कि दोनों के नाम से प्रापर्टी हो जाए फिर दोनों को इंतजार करना पड़ेगा और दूसरी स्थिति आ सकती है...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : यादव जी, ऐसा भी होता है कभी ?

श्री ईश दत्त यादव तो मैडम, मैं कह रहा था...

उपसभाध्यक्ष, (कुमारी सरोज खापड़ें) : का अभी कितना समय लेंगे क्योंकि काँग्रेस मिनिस्टर माहब को कुछ स्टेटमेंट करनी है ? आप बोलिये, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। ... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, मैं दूसरी स्थिति के बारे में कह रहा था। जो कानून बनाना होगा। वीणा वर्मा जी का जो बिल है, यह तो वापिस हो जायेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : क्यों वापिस हो जायेगा ?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : यादव जी, आप क्यों इन्हें बार-बार बिल

वापिस लेने के लिये कह रहे हैं? वह बिल वापिस नहीं ले रही हैं। आप बोलते जाइये।

श्री ईश दत्त यादव : अगर वापिस लें तो मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन माननीय कानून मंत्री जी, न्याय मंत्री जी इनसे अनुरोध करेंगे और यह मान जायेंगी। मैं इनकी भावना को भी समझता हूँ और मंत्री जी जो कहेंगे, वह भी मैं जानता हूँ। मैं आगे यह कह रहा था कि दूसरी स्थिति यह आयेगी कि एक महिला की शादी एक पुरुष के साथ होती है, उसके नाम से अगर संपत्ति है, तब तो ठीक है, इस तरह का कानून बन जाना चाहिये और इस तरह का कानून होना चाहिये कि जिस दिन शादी होती है, उस समय जब शादी की सरामणि होती है, जो फंक्शन होता है, उसी समय उस कानून के अनुसार उस महिला का या उस लड़की का उसके पति की जो भी संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति है यह अचल संपत्ति, उसमें उसका अधिकार हो जायेगा। इस तरह का कानून माननीय न्याय मंत्री जी को बनाना चाहिये। लेकिन मैं एक तीसरी स्थिति के बारे में भी सोच रहा हूँ कि मान लीजिये, किसी लड़की की शादी हुई और वह एम्प्लाइड है, सॉलिस में है, चारबखः हजार रुपये मासिक उसकी तनख्वाह है और उसके पिता ने भी उसे मकान दे दिया, जमीन दे दी और वह जमीन उसके नाम से है तथा दूसरी और पति रोड मास्टर है, तब क्या होगा?

श्री संघ प्रिय गौतम : तब पति की उसमें हिस्सेदारी होगी।

श्री ईश दत्त यादव : यह भी कानून बनना चाहिये। जिस दिन शादी होती है, जिस क्षण शादी होती है, क्योंकि समता लानी है तो ऐसा कानून भी होना चाहिये। गौतम जी, आप हमारे ऊपर कृपा करिये। मैं जानता हूँ कि आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी का काम ही देश में उत्पात मचाना है, इसलिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर

रहा हूँ। तो मैं तीसरी स्थिति के बारे में कह रहा था। मैं यह नहीं कहता कि मेरा बात मान ली जाये लेकिन कानून मंत्री जी, विधि मंत्री जी और उनका ला डिपार्टमेंट इस पर गंभीरता से सोचे क्योंकि समता लानी है, स्त्री और पुरुष को समान करना है, दोनों को बराबर दर्जे पर लाना है। जहाँ तक समता का मवाल है, संपत्ति में अधिकार देने के लिये, तो इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बहुत उदाहरण तो नहीं मिलते, लेकिन पांच परसेंट, दस परसेंट उदाहरण इस तरह के मिले हैं, आपको भी और माननीय सदन के सदस्यों की भी मिले हैं और मुझे भी मिले हैं, कि महिला जिसकी शादी होती है, उसके पास संपत्ति बहुत है और उसके पतिदेव अभी पढ़-लिख रहे हैं, नौकरी के लिये ट्राई कर रहे हैं और असफल हो गये हैं, तो उनका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। इसलिये इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : यादव जी, आप संक्षेप में बोलिये। पांच बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं।

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, अभी तो मुझे बहुत कुछ बोलना था।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : ठीक है, बोलिये। लेकिन पांच बजे कामर्स मिनिस्टर को मैं कहूँगी कि अपना बयान वह दें। अब आप आगे बोलिये।

श्री ईश दत्त यादव : ठीक है, पांच तो बज ही गये हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप पूरा करिए।

श्री ईश दत्त यादव : इतनी देर में पूरा तो नहीं हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : जितने दो चार शब्द आपने पूरे हो सकते हैं उसको पूरा कर लीजिये।

5.00 P.M.

श्री ईश दत्त यादव : मैम, मैं निवेदन कर रहा था कि जो समाज और देश की स्थिति आज है और इस देश के अन्दर जो कानून है, उन ग़ारों कानूनों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अब ज्यादा दिन तक इस देश में महिलाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती... (व्यवधान) हमेशा की गई है। माननीय साहू जी आप इसकी स्वीकार करेंगे हृदय से कि महिलाओं की हमेशा इस देश के अन्दर उपेक्षा की गई। उन को कमजोर समझा गया। उनको अबला समझा गया। इसलिये श्रीमती वीणा वर्मा की मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत किया है। यद्यपि मैं इस विधेयक को पर्याप्त नहीं मानता। इस विधेयक में जो बातें दी गई हैं उनमें महिलाओं के अधिकारों को पूरा संरक्षण प्राप्त नहीं होता। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस विधेयक में बहुत सी कमियाँ हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : मैं आपमें निवेदन करना चाहूंगी कि आप अगर अपनी बात पूरी नहीं कर पाये तो आप अपनी बात कामर्स मंत्री जी के बयान के बाद पूरी कर सकते हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : यह तो पांच बजे खत्म हो जायेगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : आप अपनी बात अगली बार पूरी कर लीजिये। अब कामर्स मिनिस्टर साहब का बयान होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी का बयान नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : क्यों नहीं हो सकता ?

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि पांच बजे तक प्राइवेट मेंबर्स के बिल का टाइम है। पांच बजेकर एक मिनट या दो मिनट पर हो सकता है, पांच बजे नहीं हो सकता है। दूसरे यह जो इलोक्यूटिव नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इधर भी और उधर भी दोनों तरफ यह लिखा है एग्जीमेंट पर स्टेटमेंट होगी। पर यह नहीं लिखा किम से एग्जीमेंट पर स्टेटमेंट होगी। तीसरे दोनों इलोक्यूटिव बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एक भी बोर्ड पर हिन्दी में नहीं लिखा हुआ है। इसलिये माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आज नहीं हो सकता। पांच बजे तक का टाइम प्राइवेट मेंबर्स का है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें) : आप इतने एक्साइटड रहते हैं कि आप न चेयर को कुछ समझते हैं और न किसी और को कुछ समझते हैं। पांच बजेकर एक मिनट हो रहा है आप क्यों इस बात का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं कि यह स्टेटमेंट नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल का टाइम पांच बजे तक का था।

श्री संघ प्रिय गौतम : विजनेस एड-वाइजगी कमेटी में... (व्यवधान)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I am raising some constitutional issues. In the List of Business there is no mention that the statement would be made by the Minister of Commerce. There was no discussion in the BAC. Moreover, I understand there is a convention that when such statements are to be made, in the morning notice is given that such a statement would be made. If you look at the composition of the House now, how many Members are there? If this was brought to the notice of the Members in the morning, many people would have been here, given the gravity of the subject. The notice came just at four o'clock. We have got only one hour's notice, by when most of the Members have left for their constituencies. It will be very improper on the part of the Minister to make the statement. I would request him not to make the statement now but leave it until Monday. Then the statement can be made and clarifications sought. I would request the Mi-

[Dr. Biplab Dasgupta—Contd.]

nister not to place it before the House because I don't think it would be proper for him to do so. If it is done, certainly we will not permit it. (Interruptions)...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** आप यह स्टेटमेंट नहीं ले सकते (व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खाँ) :**

अगर आप इस तरह से बार-बार खड़े होंगे तो ठीक नहीं होगा।  
Then I will have to raise my voice to make you sit.

**श्री मोहम्मद सलीम :** विधि के अनुसार मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वह कोई भी बयान लेकर सदन में आय। लेकिन हमारा यह पहला सप्ताह है और आज फाइव है। फाइव आपटरन हम प्राइवेट मेंबर विजनेस लेते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाय तो हमें आन्टर प्राइवेट मेंबर विजनेस लेना है वह प्री लंच सेशन में एलान किया जाता है। जो इलेक्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इसमें कभी-कभी इलेक्ट्रोनिक भी आता है, बहुत से सवाल भी आ रहे हैं। इसको ओर्थेटिक नहीं मानते हूँ के मुताबिक आप यहाँ 4 वजे क्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड पर यह लगवाते हैं और उसके बाद आपने चेयर से घोषणा कर दी। जो सदस्य प्राइवेट मेंबर विजनेस में भाग ले रहे हैं या जिन्होंने स्पेशल मेशन करना है वे यहाँ बैठे हैं,

or, given the gravity of the situation and the importance of the subject-matter of the statement...

आप इस सदन को और सदन के तमाम सदस्यों को न बताकर उनके पीछे ऐसी घोषणा अपने आप नहीं ला सकते। मेरा सवाल यह है कि हम अक्सर दूसरे हफ्ते में ऐसे निर्णय लेते हैं कि 6 वजे बैठेंगे, 7 वजे बैठेंगे। इससे बहुत से सदस्य पोस्ट सेशन लंच में वापस आ जाते हैं। दूसरा अभी तक हमने रोज सदन 5 वजे एडजर्न किया है। मंडम, दो दिन कोई स्पेशल मेशन नहीं हुए। इसके लिए बहुत से मेंबर बैठे हुए हैं। इसलिए स्पेशल मेशन होने

चाहिए। तीन रोज से मेंबर बैठे हैं। हम इसके लिए देर तक बैठने के लिए तैयार हैं। साथ ही क्लेरिफिकेशन भी नहीं लिए जा रहे हैं और यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला भी नहीं है जो वाणिज्य मंत्री जी इसको आज ही यहाँ रखें। इसको आने वाले दिनों में किसी भी दिन रखा जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको परमिट न करें वरना यह एक गलत प्रिसिडेंट हो जाएगा। 4 वजे इलेक्ट्रोनिक बोर्ड पर बताकर आप ऐसा न करें।

شری محمد سلیم: ورحی کے الیوم انتہی  
مہر دے کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ کرتی بھی بیان  
لے کر سدن میں آئیں لیکن ہمارا یہ پہلا  
سپتاہ ہے اور آج فرائی ڈے ہے فرائیڈے  
آخر ٹون ہم پرائیویٹ ممبرز بس لیتے ہیں  
اگر کوئی ایسا سوال آجائے جو ہمیں آفٹر  
پرائیویٹ ممبرز بس لینا ہے وہ پری لंच  
سمیشن میں اعلان کیا جاتا ہے جو الیکٹرونک  
نٹس بورڈ لگا ہوا ہے اس میں کبھی کبھی  
میزرک بھی آتا ہے بہت سے سوال بھی آ  
رہے ہیں اس کو آفٹشک نہیں ملنے رول  
کے مطابق آپ یہاں چار بجے الیکٹرونک  
نٹس بورڈ پر یہ نکالتے ہیں اور اس کے  
بعد آپ نے چیرمین سے گھوٹنا کر دی کہ  
جو سیم پرائیویٹ ممبرز بس میں بھاگے  
رہے ہیں یا جنہوں نے اسپیشل مینشن کرنا  
ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں  
شری محمد سلیم "جاری":

or, given the gravity of the situation and the importance of the subject-matter of the statement...

آپ اس سदन کو اور سदन کے تمام  
سدن کو نہ بنا کر ان کے پیچھے ایسی گھوڑنا  
اپنے آپ لاسکتے ہیں اس سوال یہ ہے کہ تم  
اکثر دوسرے مہنتے میں ایسے نہ رہتے لیتے  
ہیں کہ ۶ بجے بیٹھیں گے، ۷ بجے بیٹھیں گے  
اس سے بہت سے سدسیر پورٹ سیشن لینچ  
میں واپس آجاتے ہیں۔ دوسرا ابھی تک  
ہم نے روز سدن ۵ بجے ایڈجوبن کیا ہے  
میڈم۔ دو دن کوئی آپیشنل مینشن  
نہیں ہوئے اس کے لئے بہت سے ممبریں  
بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لئے آپیشنل مینشن  
ہونے چاہئیں۔ مین روز سے ممبریں بیٹھے  
ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لئے دیر تک  
بیٹھنے کے لئے تیار ہیں بلکہ یہی طریقہ نکلیں  
جی نہیں لیتے جارہے ہیں اور یا سوچیں  
ایسا ہتھ پورن معاملہ بھی نہیں ہے جبہ  
وائجنس منٹری جی اس کو یہاں رکھیں۔  
اس کو آنے والے دنوں میں کسی بھی  
دن رکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے میڈم  
آپ سے اور ودھ ہے کہ اس کو پورٹ  
نہ کریں۔ ورنہ یہ ایک غلط پریسڈنٹ  
ہو جائے گا۔ چار بجے انیکورڈنگ بورڈ پر  
بتا کر آپ ایسا نہ کریں۔  
"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have made your point. Will you please sit down now? Will you please sit down now? (Interruptions)

Mr. Swell, will you please sit down?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, if I will just clarify the position, perhaps the hon. Members will not be so much agitated.

Firstly, why I decided to make the statement today is because of the fact that the Cabinet has taken the decision yesterday, last night. If it appears in the Press, then, the same Members will say, "You have taken the decision. The House is in session, and you are not communicating it to the House." Therefore, I decided *suo motu* that I should share this piece of information with the hon. Members at the earliest opportunity. (Interruptions)

SHRI MD. SALIM: Madam, this is the precise point. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Salim, please let the Minister complete the statement. Please sit down.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am fully aware that the Members may be put to some inconvenience in seeking clarifications, but, as per your direction, it can be said that I can make the statement today. Monday is my question day. You can seek clarifications on Monday. There will be no problem.

SHRI MD. SALIM: Madam, the Minister, replying to my point...

DR. BIPLAB DASGUPTA: If this is the case that the Cabinet decided it last night, why was no notice given in the morning? The whole day was there to inform the House that you were going to make a statement today.

SHRI MD. SALIM: This is my precise objection.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Are you not allowing others to speak? Only you are speaking.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The announcement could have been made in the morning session that the Minister was going to make a statement. Unfortunately, it was not made.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Biplab Dasgupta, I did not allow you to speak. I allowed Mr. Swell to speak. Mr. Swell is there. You are going on speaking like this. It is not fair.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Madam, by sheer luck I am here because, otherwise, I would have gone home.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Yes, yes, you never come to the House.

SHRI G. G. SWELL: I would not have known anything about this statement.

I can see the reason given by the Minister that since the Cabinet took the decision last night, that he would not like this to get into the Press before he would mention it in the House and that he would like to take the House into confidence. I agree, but, when the decision was taken last night why could he not let us know today morning that at a particular time this statement would be made? I am sure, this House would have been full because this is a very very important thing that is happening in the world, and we are entering into a new phase. I think it is only fair and proper for the Minister to do it. But, I do not make an announcement in the morning. I do not know whether my colleagues here will agree for the compromise that we can seek clarifications on Monday.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the hon. Members were making the point about the hon. Minister coming with a statement in this House.

Madam, this is the convention of this House especially that the hon. Minister will say that he is coming with a statement. It will be informed to the hon. Members. It is the duty of the hon. Members to be present in the House and to seek clarifications... (*Interruptions*)

Kindly. They cannot say, "Since you did not tell us about it in the morning, we cannot be present in the evening." There is no excuse for it. I would like to submit, whether it is Friday or it is Monday, it is the duty of the Members to be present in the House when the House is sitting. It is absolutely required... (*Interruptions*)

You may differ with me, but I have to make my point.

SHRI G. G. SWELL: You cannot take the House by surprise.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, in the Business Advisory Committee it was decided that if business would be there the House would sit even beyond five o'clock. Therefore there is no force in their argument, and the hon. Minister is well within his right to make his statement. The Members can ask clarifications on Monday if they feel inconvenient to do so now.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, एक बात गलत है। पांच बजे तक हाउस है इसलिए

Members are not supposed on... (*Interruptions*)

SHRI G. G. SWELL: Madam, this is unfair. Initially the Members are not supposed to be present now. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have expressed your views. Again and again I am not going to listen to all these things.

SHRI G. G. SWELL: We object on principle that the Government can take



the House by surprise at any time. We do not accept this.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** It is not fair that you take the House by surprise. The House also will not function at the convenience of each and every Member.

**DR. BIPLAB DASGUPTA:** Take the sense of the House, Madam.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:  
Please take the sense of the House.

श्री ईश दत्त यादव : मेरा इससे संबंधित नहीं है। मैं इस विषय में नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा भाषण अगली तारीख तक जारी रहेगा ?

**उपसम, ध्यक्ष (कुमारी सरोज खाण्डे) :**  
अभी आपने अपनी भाषण दे दिया। पुरा  
नहीं किया होगा तो आगे सत्र में बोलियेगा  
लेकिन वाणिज्य मंत्री जी को प्रपत्ति वयान  
कपरे की अनुमति प्रदान कर दीजिए।

**DR. BIPLAB DASGUPTA:** Please take the sense of the House.

**THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE):** Please sit down. This is not fair. Now Mr. Pranab Mukherjee.

### STATEMENT BY MINISTER

## Government's decision to ratify agreement establishing World Trade Organisation

**THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE):** Madam, hon. Members will recall that this House has discussed the Uruguay Round results on a number of occasions.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): There is no quorum. It cannot be done. *(Interruptions)*. How can you do this? *(Interruptions)*. Is this the way the Government should function?

राज्य सभा की अपनी गरिमा है। (व्यवधान)  
सदन की गरिमा का सवाल है (व्यवधान)

وہ میرے جیسا کہ اپنی گھر گیا ہے۔  
 "مرا خلع ہے" ... بسرن کی گھر گیا کا سوال ہے۔  
 "مرا خلع ہے" ...

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) :  
गवर्नमेंट का यह एटीट्यूड ठीक नहीं है।  
(व्यवधान)

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** While there have been differing perceptions on one or the other aspects of the Uruguay Round results, Government is of the view that India's continued participation in the multilateral trading system will be in our national interest. (*Interruptions*).

Government have carefully examined the Agreement Establishing the World Trade Organisation and found that:

- reductions in tariffs will contribute to increased trade flows;
- the Agreement on Textiles, though it disappoints us by not mandating early integration, nevertheless represents a definite, time-bound and legally enforceable commitment to integrate this sector into the multilateral rules governing international trade;
- India has not undertaken any reduction commitments in any area of support to agriculture and our development policies remain unaffected;
- there is no obligation on us to patent seeds and plant varieties and a sui-generis system, which protects the rights of the farmers and researchers will be in our own interest;

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal: Madam, the House does not have quorum. (Interruptions).

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)